

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक :22 जून, 2021

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 (2020 से 2024) के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाईन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की कुल आबादी (वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार) में 19.98 करोड़ थी, जिसमें ग्रामीण आबादी 15.53 करोड़ थी, जो (77.72) प्रतिशत था। कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 2.57 करोड़ थी। प्रदेश नियत समय से पूर्व ही ओ.डी.एफ. का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 (2014 से 2019) का लक्ष्य खुले में शौच से मुक्ति (Open Defecation Free) (ओ.डी.एफ.) था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में लगभग 2.28 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया और बड़े पैमाने पर ग्रामवासियों में व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य किया गया।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :-

- (i) ओ.डी.एफ. की स्थिति बनाए रखना।
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (SWM)
- (iii) तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (LWM)
- (iv) ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर देखने में साफ-सुथरा (Visible Cleanliness) होना चाहिए।

3. ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना :

(i) इस मद में नए परिवार, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, उनका व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 9.50 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है।

(ii) पूर्व से निर्मित व्यक्तिगत शौचालय, जो उपयोग में न लाए जाने की वजह से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से निष्प्रयोज्य हो गए हैं, उनके रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जाना है। यह कार्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध सेनीटेशन मद (टाईड फण्ड) की धनराशि से कराया जाएगा।

(iii) सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रख-रखाव :

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय निर्मित किए जाने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था। इन शौचालयों को पूर्ण किया जाना है और इनके रख-रखाव के लिए

Mamg'

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चयनित महिला को हस्तगत किया जाना है। इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेश के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में अगले 02 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा तथा रख-रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला का चयन अन्तिम करते हुए रख-रखाव के लिए कम से कम 03 माह की धनराशि स्वयं सहायता समूह को स्थानान्तरित की जाएगी। सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्य स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा की धनराशि से किया जाएगा। इसके रख-रखाव का व्यय वित्त आयोग के अन्तर्गत सेनीटेशन मद (टाईड फण्ड) में उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा।

4. ग्राम पंचायतों में ओ.डी.एफ. + के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शासन दृढ़ संकल्पित हैं। सभी ग्राम पंचायतें यथाशीघ्र स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से ओ.डी.एफ. + के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना है। गाँव में ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जाना है। इस कार्य में गाँव की जन सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। गाँव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए जिम्मेदार हो, इसके लिए समय-समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाए।

5. सफल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सिद्धांत :

- (i) सामग्री का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही उससे जनित अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- (ii) अपशिष्ट की छटाई जैविक व अजैविक या उसके उप-भाग के वर्गों में पृथक्करण अच्छे अपशिष्ट प्रबंधन की कुंजी है।
- (iii) कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यवहार में बदलाव का कार्यक्रम है।
- (iv) जिस स्थान पर अपशिष्ट जनित होता है उसके जितना नजदीक उसका उपचारित किया जाये, अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य उतना ही सफल होता है।
- (v) एक सफल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम केवल सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से ही हो सकता है।

6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लैण्डफिल या डम्पिंग ग्राउण्ड विभिन्न एक्ट एवं नियमों के माध्यम से अब पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

7. पंचायती राज विभाग के निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा प्रदेश को 4 जोन में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन से एक-एक जनपद की 4-4 ग्राम पंचायतों का ठोस अपशिष्ट के विषय पर परिवार स्तर का सर्वेक्षण सितम्बर, 2020 में किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रदेश में औसतन 77 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रति दिन जनित होता है। ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार ठोस अपशिष्ट की मात्रा में विविधता पायी गयी, जो निम्नवत् है:-

Manoj'

क्रम सं.	ग्राम पंचायत की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट
1	01-1999 तक	60 ग्राम
2	2000-5000 तक	85 ग्राम
3	5000-10,000 तक	75
4	10,000 से अधिक	80

8. उपरोक्त सर्वेक्षण के दौरान ठोस अपशिष्ट को श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया है, जो स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	ठोस अपशिष्ट का प्रकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन उत्पन्न अपशिष्ट ग्राम में	प्रतिशत
1	Bio-degradable Waste (जैविक)	44	57
2	Inert Waste	17	22
3	Recyclable Waste	13	17
4	Hazardous Waste	3	4
	Total	77	100

तकनीकी सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त की गई उपरोक्त ठोस अपशिष्ट की मात्रा व प्रकार के अनुसार ही प्रदेश की ग्राम पंचायतों में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

9. ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाना:

(i) घरों और थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं (छात्रावास, बाजार, विवाह हॉल, आदि) की पहचान करना और उत्पन्न कचरे की मात्रा निर्धारित करना।

(ii) जैविक अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर के अपशिष्ट का ऑकलन करना:

10. कूड़े का संग्रह - गांव में नियमित रूप से घरों और थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट एकत्र करने के लिए योजना विकसित की जानी है। गृह स्वामी निर्धारित स्थान पर सामुदायिक कूड़ेदान में भी इसे डाल सकते हैं।

11. संग्रहण और कम्पोस्टिंग केंद्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रांगण (यार्ड), बनाया जाना है, जो "एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र" (ISWMC) के नाम से जाना जाएगा। उक्त के निर्माण के लिए राजस्व ग्राम स्तर पर कम से कम 1500 वर्ग मीटर भूमि चयनित की जाए। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में प्लास्टिक के संग्रहण, परिवहन व प्रसंस्करण में लगे व्यक्तियों/फर्मों की पहचान करें और उनसे बातचीत कर इस तरह के समाधान को निकालेंगे कि क्या प्लास्टिक/थर्मोकॉल को पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है तो उसे निजी तौर पर कार्यरत व्यक्ति/फर्म के प्रसंस्करण के लिए किस रेट पर लिया जा सकता है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाएगा कि विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक के प्रसंस्करण के लिए लगायी जाने वाली इकाई निजी सहभागिता में स्थापित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में इसे विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित करने का कार्य कराया जाएगा।

Manaf'

12. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सफल पद्धति के रूप में कम्पोस्टिंग पर बल देता है। सभी ग्रामों में सामुदायिक स्तर पर गीले अपशिष्ट का प्रबंधन खाद गड्ढे (पिट कम्पोस्टिंग) के माध्यम से किया जाना है। पिट कम्पोस्टिंग दो प्रकार की होती है, (क) सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गड्ढा, (ख) सामुदायिक स्तर का पक्का खाद गड्ढा। कम्पोस्टिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें ठोस कचरे के आर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से विघटित किया जाता है और उसे नियंत्रित स्थितियों में ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उसे आसानी से प्रबंधित, संरक्षित किया जा सकता है या जमीन में खाद के रूप में मिलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में थर्मोफिलिक तापमान बनता है और जैविक रूप से उत्पन्न इस गर्मी के कारण अन्तिम उत्पाद कम्पोस्ट (खाद) होता है, जो कि कीटाणुओं और पौधों के बीज से मुक्त तथा स्थिर होता है, जिसके उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ाता है।

13. कम्पोस्टिंग की विधि :

(i). सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गड्ढा

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (चौड़ाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।
- गड्ढे की तलहटी में चिकनी मिट्टी का लेप लगा दें।
- यह कच्चा गड्ढा है इसमें ईंटों की आवश्यकता नहीं है।
- 150 मिमी⁰ गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।
- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गंध और मक्खी मच्छर से बचने के लिए मिट्टी की पतली सी परत बिछा दें, करीब सप्ताह में एक बार।
- इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी⁰ की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संग्रहित किया जा सकता है।
- गड्ढा भरने के उपरान्त 300 मिमी⁰ ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बराबर आकर बैठ जाता है।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड्ढे को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद को उपयोग कर सकते हैं।

लागत (1 खाद गड्ढा के लिए) – तीन मानव दिवस (अकुशल)

(ii). सामुदायिक स्तर का पक्का खाद गड्ढा

निर्माण विधि एवं लागत

जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (चौड़ाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।

- ईंटों के द्वारा आयताकार का 225 मिमी⁰ रोबेदार गड्ढा (Honeycomb)
- गड्ढे की तलहटी को सीमेंट व ईंट के द्वारा पक्का न करें।
- 150 मिमी⁰ गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।

- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गन्ध और मक्खी मच्छर से बचने के लिए मिट्टी की पतली सी परत बिछा दें, करीब सप्ताह में एक बार ।
- इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी० की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संग्रहित किया जा सकता है।
- गड़ढा भरने के उपरान्त 300 मिमी० ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बाराबर आकर बैठ जाता है।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड़ढे को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

लागत (1 खाद गड़ढा के लिए) -

- 1200 ईट
- 3 सीमेंट की बोरी
- 20 घनफिट रेत
- 3 मानव दिवस (अकुशल)
- 2 मानव दिवस (कुशल)

14. कम्पोस्ट गड़ढा बनाने के लिए स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना है-

- (i) गड़ढे का स्थान निचले क्षेत्र में और जलजमाव ग्रस्त क्षेत्र अथवा जल स्रोतों एवं जलाशयों के पास के क्षेत्र में न हो।
- (ii) स्थल से कचरे और खाद की दुलाई सुगम्य हो।
- (iii) जिन स्थानों पर जल-स्तर ऊंचा हो और सतह के नजदीक हो उन्हें कम्पोस्ट गड़ढे के निर्माणार्थ नहीं चुना जाना चाहिए।
- (iv) हवा के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया जाए ताकि रिहायशी क्षेत्रों में दुर्गन्ध न आए।
- (v) गड़ढे में पानी के रिसाव को रोकने के लिए गड़ढे के चारो ओर एक बन्ध बनाया जाए।
- (vi) मिट्टी की स्थिति के अनुसार गड़ढे की दीवार सीधी या ढाल वाली बनाई जाए।
- (vii) स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित जैविक कचरे की मात्रा के अनुसार गड़ढे की संख्या और उसके आकार में बदलाव किया जा सकता है।
- (viii) यदि वहां औद्योगिक, वाणिज्यिक, बाजार केन्द्र हों तो सृजित कचरे की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त गड़ढों का निर्माण किया जाएगा।
- (ix) सृजित कचरे की मात्रा, बस्तियों की संख्या और परिवारों की संख्या तथा कम्पोस्ट गड़ढे खोदने के लिए उपलब्ध जमीन के आधार पर, आवश्यकतानुसार गड़ढों के समूह में उपयुक्त बदलाव किया जा सकता है। गड़ढों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए।

Manaf

15. गोबर के लिए केंचुएँ गड्ढे (वर्मीकम्पोस्टिंग) – सामुदायिक स्तर पर केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ के द्वारा गोबर, वनस्पतियों एवं भोजन के अपशिष्ट आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कम्पोस्ट (खाद) डेढ़ से दो माह के अन्दर तैयार हो जाता है। गोबर संग्रहण और वर्मीकम्पोस्टिंग केंद्र की स्थापना करने के लिए ग्राम स्तर पर गीले अपशिष्ट के लिए प्रांगण (यार्ड) बनाना है (विनिर्देश, आकार और लागत - संलग्नक)। निर्माण के लिए ग्राम स्तर पर भूमि (कम से कम 1500 वर्ग. मीटर) जो पहले उल्लिखित की गई है, इसी में वर्मीकम्पोस्टिंग की जानी है।

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के ऊपर 2 (गहराई) × 3 (चौड़ाई) × 6 (लम्बाई) फिट की क्यारियाँ बनाये।
ईंटों के द्वारा आयताकार 4इंच मोटी दीवार का गड्ढा बनाये।
- गड्ढे में गोबर एवं केंचुएँ डाल दें।
- प्रतिदिन गोबर की मात्रा – 25 से 30 KG
- वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन प्रतिमाह – 250 से 300 KG
- 30000 केंचुओं से 1 टन वर्मी कम्पोस्ट उत्पन्न होता है।

लागत (1 क्यारी के लिए) –

- 13 घनफिट खुदाई
- 300 ईंट
- 25 घनफिट रेत
- 2 बोरी सीमेंट
- 13 घनफिट मोटी गिट्टी
- 8 घनफिट छोटी गिट्टी
- 13 घनफिट बड़ी गिट्टी
- 3 फिट लम्बा पी0वीसी0 पाईप
- 1 मानव दिवस राज मिस्त्री
- 2 मानव दिवस अकुशल श्रमिक

स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित गोबर की मात्रा के अनुसार क्यारियों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

“एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र” (ISWMC) का संचालन ग्राम पंचायतें स्वयं कर सकती हैं अथवा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करा सकती हैं। ग्राम पंचायतें स्वतंत्र होंगी कि (ISWMC) के विभिन्न गतिविधियों को एक साथ करा सकती हैं अथवा इन्हें

Manaf

पृथक-पृथक जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए करा सकती हैं। (एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र का ले-आउट, मॉडल आगणन एवं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (A) का ले-आउट संलग्न है।)

16. प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण:

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 2.73 ग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में एक ग्राम पंचायत की औसतन जनसंख्या 2643 है। एक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का औसतन वजन $2.73 \times 2643 = 7.2$ किग्रा०। एक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का औसतन वजन $7.2 \times 365 = 2630$ किग्रा०। न्यूनतम विक्रय मूल्य 2 रुपये प्रति किग्रा० प्रतीत होता है। संग्रहकर्ता को न्यूनतम मूल्य या वस्तविक बिक्री का 50-50 प्रतिशत संग्रहकर्ता और ग्राम पंचायत के बीच साझा किया जायेगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण, भंडारण, ढुलाई और निपटान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों में उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। पंचायती राज अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-263(1)/33-3-2020-154/2014 टी.सी. दिनांक 20 जुलाई, 2020 द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिषिद्ध किया गया है। इन प्रतिबन्धों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत की अपने क्षेत्र में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

राजस्व ग्राम स्तर पर भंडारण की सुविधा एवं यथासम्भव छंटनी

विभिन्न स्तरों पर अर्थात् घरेलू स्तर, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी, पंचायत घर, वाणिज्यिक क्षेत्र और बाजारों में सृजित अपशिष्ट के प्रकार और मात्रा का आंकलन करना है। प्रत्येक घर, वाणिज्यिक केंद्रों, संस्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण और उसे राजस्व ग्राम स्तर के एकत्रीकरण सुविधा केन्द्र पर भेजा जाना है। संग्रहण, एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण का कार्य प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर शेड बनाकर किया जाएगा। संग्रहित किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट को अच्छी तरह धोकर सुखाया जाना, प्लास्टिक अपशिष्ट को छांट कर अलग-अलग करना तथा बोरी में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण व सुरक्षित भंडारण किया जाना है।

ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी सुविधा/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई

संग्रहण तथा एकत्रीकरण केंद्रों से प्लास्टिक अपशिष्ट को ब्लॉक स्तर पर ले जाना जहां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (PWMC) स्थापित किए जाएंगे। इस केन्द्र के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी मार्ग निर्देशिका में 16 लाख रुपये प्रति ब्लॉक के हिसाब से धनराशि प्राविधानित की गयी है, जिसका उपयोग किया जाएगा। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन होगी। पुनःचक्रित कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ट प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है (Ref- using plastic in construction of roads in the Indian Road Congress Code SP: 98-2013) अथवा सीमेंट उद्योगों में सह-प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

Manaf

17. घरेलू निष्प्रयोज्य जल/ग्रे वाटर के लिए सोखता गड्ढे

प्रत्येक राजस्व ग्राम में जहाँ व्यक्तिगत सोखता गड्ढा एवं सामुदायिक सोखता गड्ढे से भी तरल अपशिष्ट का प्रबन्धन सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुनिश्चित किया जाए कि गाँव की आबादी के पास जो मुख्य तालाब है, उसमें किसी भी दशा में गाँव का गन्दा पानी न जाये। इसलिए आवश्यकतानुसार नाली का निर्माण कर अथवा पाइपलाईन के माध्यम से गंदे पानी को आबादी से दूर स्थित वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पाण्ड गंदे पानी के उपचार के लिए बनाए, इसे वहां ले जाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे जल के प्रबंधन के लिए, चयनित पद्धति के रूप में सोखता गड्ढे को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत सोखता गड्ढों के निर्माण में आने वाली लागत का वित्त पोषण परिवार के स्वयं के संसाधन से, मनरेगा, राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकता है।

सामुदायिक सोखते गड्ढे का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन में प्राविधानित धनराशि एवं मनरेगा से किया जाएगा।

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1 (चौड़ाई) × 1 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।
- गड्ढे की तलहटी से 250मिमी⁰, 125 से 150मिमी⁰ आकार के पत्थर भर दें, उसके बाद नीचे से 250मिमी⁰ की दूसरी परत में 100 से 125 मिमी⁰ के पत्थर भर दें, उसके उपर 250 मिमी⁰ की तीसरी परत में 50 से 75 मिमी⁰ के पत्थर भर दें।
- सबसे उपर 225 मिमी⁰ का एक मिट्टी का घड़ा 5 से 6 छेंद कर रख दें और घड़े में रेत भर दें।
- गड्ढे की उपरी परत पर 25 मिमी⁰ झाड़ की परत बिछा दें, उसके ऊपर एक बोरी से ढक दें, बोरी के उपर 25 मिमी⁰ झाड़ की एक और परत बिछा दें।
- झाड़ के ऊपर कीचड का लेप लगा दें।
- उसके बाद 225 मिमी⁰ से 250 मिमी की सूखी मिट्टी की परत बिछा दें।
- 200 × 200 मिमी⁰ का एक चैम्बर घड़े के चारों ओर बना दें, जिसकी गहराई 20 मिमी की होगी।

लागत (1 सोखता गड्ढे के लिए) -

- 7.5 घनफिट 125 से 150 मिमी.पत्थर
- 7.5 घनफिट 100 से 125 मिमी.पत्थर
- 7.5 घनफिट 50 से 75 मिमी.पत्थर
- एक टाट की बोरी
- एक मिट्टी का घड़ा
- 1.5 मी. 50मिमी व्यास की पाईप
- 1 मानव दिवस (अकुशल)
- 1 मानव दिवस (कुशल)

स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित गोबर की मात्रा के अनुसार सोखता गड्ढे की संख्या बढ़ाई जायेगी।

Manaf

18. प्रत्यक्ष स्वच्छता:

ग्राम पंचायत में आमतौर पर साफ-सफाई की व्यवस्था बनी रहे और लोग गंदगी को अव्यवस्थित तरीके से इधर-उधर न फेंके, यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :-

- (i) मुख्य मार्गों एवं बाजार के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा दिन में कम से कम 01 बार झाड़ू से सफाई की व्यवस्था।
- (ii) मुख्य मार्गों व व्यावसायिक/बाजार के क्षेत्रों में नियत स्थान पर कूड़ेदान/डम्पस्टर रखना और इसकी नियमित सफाई करना।
- (iii) बाजार में दुकानदारों से एवं ठेले, खोमचे वालों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि दुकान, ठेले आदि पर उत्पन्न हो रहे कूड़े को बोरी अथवा कन्टेनर में एकत्रित करना और उसे डम्पस्टर में ले जाकर डालना।
- (iv) शनिवार व रविवार को ग्राम पंचायत में विशेष स्वच्छता व सेनीटाईजेशन का कार्यक्रम पंचायत द्वारा तैनात सफाई कर्मी व अतिरिक्त मजदूरों को लगाकर कराया जाएगा।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में ओ.डी.एफ. प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक:-अपशिष्ट एकत्रीकरण केन्द्र (यार्ड)

भवदीय
Manoj 22.6.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।


संख्या व दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का ले-आउट (1000 -1500 sq meter)



<p>Uttar Pradesh Swachh Bharat Mission Grameen</p>	<p>SCALE NOT TO SCALE (N.T.S) ALL DIMENSIONS ARE IN MM</p>	<p>DATE 07/06/2021</p>	<p>DRG. NO: R1/IDC/ D2-D एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र Drawn By: IDC इंडियन डेवेलपमेंट सेंटर INDIAN DEVELOPMENT CENTER</p>	<p>Uttar Pradesh State Resource Center for Waste Management (SRC) 4th Floor, Room No. 404 & 403 Local Bodies Directorate, Plot No. 18, Sector 7, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010, Uttar Pradesh, India connect@indeveen.org</p>
--	--	----------------------------	--	---

Manaf

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

DETAILED ESTIMATE FOR THE PROPOSED CONSTRUCTION OF INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT CENTER							
DETAILS OF MEASUREMENT							
S.NO	ITEMS	NO.	LENGTH	BREADTH	HEIGHT	QUANTITY	UNIT
(A)	EXCAVATION						
1	Excavation in soil mixed with Moorum, shingle, Kankar etc. requiring the use of special T&P. such as piclaxes, sabbals etc.						
	Premises wall foundation excavation	1	258.556	0.6	1.065	165.217284	
	Floor excavation	1	975.795		0.54	526.9293	
						692.146584	Cu.M.
(B)	FOUNDATION						
2	Providing and laying Cement concrete 1:6:12(1 cement ; 6 fine sand ; 12 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including formwork in foundation & floors.	1	258.556	0.6	0.1	15.51336	Cu.M.
3	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work						
		1	258.556	0.46	0.45	53.521092	
		1	258.556	0.35	0.15	13.57419	
		1	258.556	0.23	0.45	26.760546	
						93.855828	Cu.M.
(C)	FLOORING						
4	Sand filling in plinth excluding supply of necessary quantity of sand from a distance not exceeding 8 km. (5 miles) from the site of	1	25.58	33.44	0.465	397.758768	Cu.M.

Manaf

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

	work and including watering, ramming, dressing etc. rate to including materials, labour and T & P etc.required for proper completion of the work						
5	Brick bats filling in floor watering, well ramming etc	1	25.58	33.44	0.075	64.15464	Cu.M.
6	Providing and laying Cement concrete 1:6:12(1 cement ; 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost formwork in foundation & floors.	1	25.58	33.44	0.1	85.53952	Cu.M.
(D)	INCLINED FLOORING IN PITS						
7	Providing and laying Cement concrete 1:6:12(1 cement ; 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost of formwork in foundation & floors.	84	2.194	2.063	0.13	49.42634424	Cu.M.
(E)	DAMP PROOF COARSE						
8	2 cm. (3/4") thick damp proof course with cement and approved coarse sand 1:2 with and including water proofing materials as ordered by the Engineerin charge in the proportion as specified by the manufacturers including supply of all material, labour and T&P etc., required for proper completion of the work including proper curing and shuttering as necessary.	1	126.03	0.23		28.9869	Sq.M.


Manaf

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

(F)	BRICKWORK						
9	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.						
	Pair of pits with 2 breadth walls sharing with premises walls	72	7.503	0.101	0.11	6.00179976	
	Pair of pits with 1 Length wall and 2 breadth walls sharing with premises walls	12	5.6	0.101	0.11	0.746592	
	Premises walls	1	126.03	0.23	0.11	3.188559	
	Toilets wall	1	6.098	0.101	0.11	0.06774878	
	Deduction						
	Gate(-)	2	0.914	0.101	0.11	0.02030908	
	Storage walls	1	26.87	0.101	0.11	0.2985257	
	Deductions						
	Windows(-)	8	1.524	0.101	0.11	0.13545312	
	Gate(-)	1	1.828	0.101	0.11	0.02030908	
	Office walls	1	6.356	0.101	0.11	0.07061516	
	Deductions						
	Windows(-)	1	1.53	0.101	0.11	0.0169983	
	Door(-)	1	0.914	0.275	0.11	0.0276485	
	Shade Support Brick Work	5	20.718	0.101	0.11	1.1508849	
						11.30400722	Cu.M.
	Superstruture						
10	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.						
	Outer wall Backside	1	33.52	0.23	3.04	23.44	

Manoj

मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (A) का ले-आउट



Uttar Pradesh Swachh Bharat Mission Grameen	SCALE NOT TO SCALE (N.T.S) ALL DIMENSIONS ARE IN MM	DATE 07/06/2021	DRG. NO: R1/IDC/ D2-E मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी	Uttar Pradesh State Resource Center for Waste Management (SRC) 4th Floor, Room No. 404 & 403 Local Bodies Directorate, Plot No. 18, Sector 7, Gomti Nagar Extension, Lucknow- 226010, Uttar Pradesh, India connect@indevcen.org
			Drawn By:  इंडियन डेवेलपमेंट सेंटर INDIAN DEVELOPMENT CENTER	

Manaf

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2023

विषय:- ग्राम पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के सम्बन्ध में।
महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर की भूमि चयनित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1500 वर्ग मीटर भूमि की उपलब्धता न होने एवं इतनी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न न होने की स्थिति में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र हेतु न्यूनतम भूमि के क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए 480 वर्ग मीटर की स्वीकृति प्रदान जाती है।(प्रारूप संलग्न)

अतः इस प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु चयनित समस्त ग्राम पंचायतों में स्थान की उपलब्धता एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापरक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र/आर.आर.सी. सेन्टर का निर्माण कराने तथा ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. प्लस करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,



(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।


संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,


(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव।



[Handwritten Signature]

ISWMC/RRC PLAN
AREA - 25.4 X 18.9 m²
BUILDING AREA - 16.3 X 9.8 m²

Project Name		ISWMC/RRC	
Client Name		Panchayati Raj Gramin Jalapuri Prakeshthi	
Date	12-09-2022	Scale	1:1
Drawing No.		8	

Details of Measurement (ISWMC CENTRE)

Construction of Integrated Solid Waste Management Centre District-Kanpur nagar

S.No.	Particulars	No.		Length	width	H/Depth	Quantity	Unit	
		2	3						4
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc in ordinary soil i/c lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of sides and ramming of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251								
	Tin Shed	1	14	0.90	0.90	0.90	10.21	cum	
		1	2	15.62	0.60	0.60	11.25	cum	
		1	2	8.32	0.60	0.60	5.99	cum	
		1	2	4.02	0.60	0.60	2.89	cum	
		1	2	1.57	0.60	0.60	1.13	cum	
							Total	31.47	cum
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273								
		1	16	0.90	0.90	0.10	1.30	cum	
		1	2	15.62	0.60	0.075	1.41	cum	
		1	2	8.32	0.60	0.075	0.75	cum	
	Floor	1	1	14.79	8.69	0.075	9.64	cum	
							Total	13.09	cum
	dedution	1	16	0.60	0.60	0.10	0.58	cum	
						Total		cum	
3	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work								
		1	16	0.90	0.90	0.30	3.89	cum	
		1	16	0.60	0.60	0.30	1.73	cum	
		1	16	0.45	0.45	0.30	0.97	cum	
		1	1	14.79	8.69	0.050	8.43	cum	
						Total	13.01	cum	
4	Providing and laying of Corrugate G I sheet Roofing i/c all the complete work (1mm) As per MR								
		1	2	15.25	4.95		150.975	sqm	
		1	1	15.25	0.30		4.575	sqm	
						Total =	155.550	sqm	
5	S/Fixing of mild steel square Hollow Pipe								
	139.7 OD X 3.6MM	1	16	3.05			48.80	Rm	
			1	48.80	12.10 kg/Rm		590.48	Kg	
	50 X 50 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW	1	6	9.15			54.90	Rm	
		2	6	4.65			55.80	Rm	
		6	4	0.30			7.20	Rm	
		6	4	0.45			10.80	Rm	
		6	4	0.75			18.00	Rm	
		6	4	0.90			21.60	Rm	
		6	6	1.20			43.20	Rm	
	1	6	0.90			5.40	Rm		
						Total	216.90	Rm	

Rate has been taken as per received from SBM.
M.H.S.

[Signature]

		1	216.90	4.39 kg/Rm		952.19	Kg	
					Total =	1542.67	Rm	
	M/S Iron Plate	4	14	0.20	0.20	31.40	70.34	Kg
					G. Total	1613.01	Kg	
6	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortar 1/c all the complete work Foundation							
		2	1	15.48	0.46	0.15	2.14	cum
		2	1	8.46	0.46	0.15	1.17	cum
		2	1	15.37	0.35	0.15	1.61	cum
		2	1	8.57	0.35	0.15	0.90	cum
		2	1	15.25	0.23	0.45	3.18	cum
		2	1	8.69	0.23	0.45	1.80	cum
		2	1	15.37	0.23	0.45	3.18	cum
		2	1	8.81	0.23	0.45	1.82	cum
		1	2	3.88	0.46	0.15	0.54	cum
		1	2	1.71	0.46	0.15	0.24	cum
		1	2	3.77	0.35	0.15	0.40	cum
		1	2	1.82	0.35	0.15	0.19	cum
		1	2	3.65	0.23	0.30	0.50	cum
		1	2	1.94	0.23	0.30	0.27	cum
					Total =	17.91	cum	
7	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortar 1/c all the complete work Super structure							
		2	1	15.25	0.23	1.50	10.52	cum
		2	1	8.69	0.23	1.50	6.00	cum
		1	1	3.65	0.115	3.00	1.26	cum
		1	1	3.65	0.23	1.50	1.26	cum
		1	1	2.40	0.115	3.00	0.83	cum
		1	1	2.40	0.23	1.50	0.83	cum
	Chamber wall for segregated wast	1	9	1.50	0.115	1.20	1.86	cum
	Chamber wall for segregated wast	1	1	17.84	0.115	0.60	1.23	cum
		1	4	3.00	0.115	0.90	1.24	cum
		1	1	9.45	0.115	0.60	0.85	cum
						Total =	25.68	cum
deduction	1	1	3.00	0.23	1.50	1.04	cum	
	1	1	0.90	0.23	2.00	0.41	cum	
	1	1	0.75	0.23	0.75	0.13	cum	
					Total =	24.10	cum	
8	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortar 1/c all the complete work							
		2	1	15.25		1.50	45.75	sqm
		2	1	9.15		1.50	27.45	sqm
		2	1	14.79		1.50	44.37	sqm
		2	1	6.69		1.50	26.07	sqm
		1	2	3.65		3.00	21.90	sqm
		1	2	3.65		1.50	10.95	sqm
		1	2	2.40		3.00	14.40	sqm
		1	2	2.40		1.50	7.20	sqm
		2	9	1.50		1.20	32.40	sqm
		2	1	17.84		0.60	21.41	sqm
	2	4	3.00		0.90	21.60	sqm	
	2	1	9.45		0.60	11.34	sqm	

2256805/2022/ -3

	deduction	1	2	3.00			Total =	284.84	sqm
								1.50	9.00
							Total =	275.84	sqm
9	Laying of RCC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar l/c all the complete work								
		1	1	3.65	2.40	0.10		0.88	cum
10	S/o MS Iron Angle Gate	1	1					1.00	No
11	S/o Submersible pump	1	1	1.00				1.00	Job
12	S/Fixing of MS Iron Angle Gate	1	1	1.00				1.00	Job
13	Finishing of wall with one priming coat & two coat oil destemper on new work l/c all the complete wor	1	1	As per same qly item no. 08				275.84	sqm
14	Provision for Photography		1					1	Job
15	interlocking brick work for drying area	1	1	12.2	3.048			37.1856	sqm
16	rcc pillars	1	42					42	unit
17	iron fencing wire	1	5	79.25				396.25	m
18	soak pit	1	1	1				1	unit
19	S/Fixing of MS Iron Angle Gate in rcc pillars for main entrance	1	1	1				1	unit

2256805/2022/ -3

Consumption of material

S.NO	ITEM	Qty	Cement	C/sand	M 150 Brick	20mm S/B	f/sand	40mm B/B
1	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	13.01	89.67	5.86		11.71		
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273	13.09	29.58				6.15	13.09
3	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortar i/c all the complete work Foundation	17.91	22.56	4.84	8237.70			
4	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortar i/c all the complete work Super structure	24.10	44.59	6.51	11087.26			
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortar i/c all the complete work	275.84	30.34				4.14	
6	Laying of RCC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	0.88	5.83	0.39		0.79		
Total			219.59	17.60	19324.96	12.50	10.29	13.09
Say			220.00	17.60	19324.00	12.50	10.30	13.00
			Bag	cum	No.	cum	cum	cum

2256805/2022/ -3

Bill of quantity					
Material cost					
S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	220.00	Bag	364.80	80256.00
2	S/o C/sand	17.60	cum	2056.20	36189.12
3	S/o f/sand	10.30	cum	1592.00	16397.60
4	S/o 40mm B/Ballast	13.00	cum	1207.50	15697.50
5	S/o 20mm S/Ballast	12.50	cum	2771.20	34640.00
6	Providing and laying of Corrugate G I sheet Roofing i/c all the complete work (1mm) As per MR	155.55	sqm	950.00	147772.50
7	S/Fixing of mild steel squlre Hollow Pipe	1613.01	Kg	75.52	121814.29
8	S/o M150 Brick	19324.00	no.	7.14	137973.36
9	S/o MS Iron Angle Gate	1.00	no.	L-S	23000.00
10	S/o Submersible pump 1.5 hp	1.00	Job	L-S	15000.00
11	Electricfication work	1.00	Job	L-S	15000.00
12	S/Fixing of MS Iron Angle Gate Door and Window	1.00	Job	L-S	4500.00
13	Finshing of wall with one priming coat & two coat oil destemper on new work i/c all the complete war	275.84	sqm	89.60	24715.08
14	Miscellaneous work	1.00	Job	L-S	15000.00
15	Provislon for Photography	1	Job	300.00	300.00
16	Interlocking brick work for drying area	37.1856	sqm	1285.00	47783.50
17	rcc pillars (with all grouting work)	42	unit	800.00	33600.00
18	iron fencing wire	396.25	m	7.50	2971.88
19	soak pit	1	unit	12000.00	12000.00
20	main entrance gate	1	unit	40000.00	40000.00
				Total	824610.82
Labour cost					
S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc In ordinary soil i/c lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of of sides and ramming of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251	31.47	cum	118.18	3718.84
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273	13.09	cum	590.00	7723.09
3	Fixing of mild steel circular Hollow Pipe with CC 1:2:4 cement, C/sand & 20mm S/Ballast Mortar i/c all the complete work.	13.01	cum	840.00	10931.97
4	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortar i/c all the complete work Foundation	17.91	cum	860.00	15400.92
5	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortar i/c all the complete work Super structure	24.10	cum	1160.00	27959.17
6	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortar i/c all the complete work	275.84	sqm	94.00	25928.77

2256805/2022/ -3

7	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	13.01	cum	1550.00	20172.10
				Total	111834.87

SUMMARY OF COST

Construction of Laboratory		
S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	111834.87
2	Material Cost	824610.82
	Total	936445.69
3	Contingency @2%	18728.9138
4	GST @18%	168560.2242
5	Less 5% due to work done by department	-46822.2845
6	Centage @12.5%	117055.7113
7	Add labour Welfare Cess @1%	9364.4569
8	Value Depreciation @1.5%	14046.68535
		1217379.397
	Say	12.18 lakh

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपंर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2022

विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ओ०डी०एफ० के स्थायित्व एवं ओ०डी०एफ० प्लस की गतिविधियों को ग्राम पंचायत में सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों का डिजाइन एवं स्टीमेट के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ओ०डी०एफ० के स्थायित्व एवं ओ०डी०एफ० प्लस की गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन हेतु किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन हेतु तकनीकी विकल्पों का डिजाइन इस्टीमेट एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित मार्ग-दर्शिका तैयार कर प्रदेश के समस्त जनपदों एवं विकास खण्डों में उपलब्ध कराया गया है। उसमें समस्त सम्भावित तकनीकी विकल्पों का यूनिट इस्टीमेट कास्ट निर्धारित किया गया है। तकनीकी विकल्पों का विवरण व यूनिट लागत निम्नवत है:-

क्र०सं०	तकनीक का नाम	मार्ग-दर्शिका में पृष्ठ सं०	लागत (रूपये में)
1	व्यक्तिगत शौचालय	संलग्नक:01	12000.00 (प्रोत्साहन धनराशि)
2	सामुदायिक शौचालय	संलग्नक:02	385000.00
3	व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा (1.2 मी. व्यास और 1 मी. गहराई)	48-50	4050.00
	सामुदायिक सोख्ता गड्ढा (2.5 मी. व्यास और 1.6 मी. गहराई)	50-51	14950.00
	व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा (1.7 मी. व्यास और 1.25 मी. गहराई)	52-53	6275.00
	सामुदायिक सोख्ता गड्ढा (2.7 मी. व्यास और 3 मी. गहराई)	54	22650.00
4	सामुदायिक कम्पोस्ट पिट	23-24	2225.00
5	विन कम्पोस्टिंग	25-26	300.00
6	नाइप कम्पोस्टिंग	27-28	5300.00
7	हीप कम्पोस्टिंग	30-31	33100.00
8	वर्मी कम्पोस्टिंग	34-36	29300.00
9	गोबरधन	37-38	50,00,000.00
10	प्लास्टिक मैनेजमेंट	40-43	16,00,000.00
11	डब्लू.एस.पी.	57-60	373225.00

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल के उचित प्रबन्धन हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों की मार्ग-दर्शिका में इस्टीमेट का विकल्पवार दर निर्धारित किया गया है। उपरोक्त कार्यों को करने के लिए प्रश्नगत मार्ग-दर्शिका के डिजाइन व स्टीमेट के अनुसार उसे यूनिट कास्ट मानते हुए कार्य किया जाएगा इसके लिए अलग से स्टीमेट व डिजाइन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार वर्णित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत कार्यपूति रिपोर्ट प्राप्त कर भुगतान किया जा सकेगा।

तदनुसार कार्य को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह) 29.6.22
अपर मुख्य सचिव।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/1357/2022-5/35/2022

लखनऊ

दिनांक: 21 नवम्बर, 2022

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2022 को बरेली मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

कार्यक्रम के दौरान इण्डियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिट्यूट (आई0वी0आर0आई0), बरेली द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट्स का भ्रमण एवं विशेषज्ञों के साथ निर्माण विधि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। आई0वी0आर0आई0, बरेली के विशेषज्ञों के अनुसार वर्मी कम्पोस्टिंग बेड्स की उंचाई अधिकतम 18 इंच (ईट के 04 से 05 रद्दे तक) ही होनी चाहिये, अन्यथा केंचुओं की मृत्यु होने की संभावना रहती है। कम्पोस्टिंग बेड के बेस (फर्श) को पक्का न बनाकर कच्ची पी0सी0सी0(ईट बिछाकर) की जानी चाहिये, साइड वॉल्स की मोटाई 4.5 इंच की होनी चाहिये। वर्मी कम्पोस्टिंग बेड्स को एक साथ न जोड़कर अलग-अलग निर्मित किया जाना चाहिये, जिससे कि बेड के अन्दर बायोमास व केंचुओं को समुचित प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके तथा खाद बनने के उपरान्त उसे आसानी से बिना बेड के अन्दर घुसे ही आसानी से चारों ओर घूमकर निकाला जा सके।

उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्व में भेजी गई वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की ड्राइंग के स्थान पर नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसके लेआउट को जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

उपरोक्त वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट को शेड के साथ दर्शाया गया है, जिसके अनुसार इसकी कॉस्ट लगभग रू0 57,600/- है। यदि इन वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट का निर्माण आर0आर0सी0 के शेड अथवा किसी छायादार वृक्ष के नीचे कराया जा रहा हो तो उपलब्ध कराये जा रहे डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट में दर्शाये गये शेड निर्मित कराने की आवश्यकता नहीं है। शेड निर्माण न कराये जाने की स्थिति में संलग्न एस्टीमेट के मेजरमेंट के बिन्दु संख्या-1, 2, 5 व 6 में पिलर फाउन्डेशन/पिलर्स तथा बिन्दु संख्या-7 व 8 को हटा दिया जायेगा। तदक्रम में वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की बिल ऑफ क्वांटिटी की भी संशोधित होकर रू0 17,567/- होगी।

अतः उपरोक्तानुसार वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (प०), उ०प्र०।

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

अतः उपरोक्तानुसार वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं०), उ०प्र०।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।


General Notes

No.	Project/Task No.	Date

Panchayati Raj
Gramin Jalapuri
Prakoshth

VERMICOMPOSTING
TECHNIQUE

Project	SBM	Sheet	00
Date	21-11-2022	Scale	1:1



CROSS-SECTION A-A

PLAN

[Handwritten Signature]

अभिषेक दत्ता
स्टेट कॉन्सल्टेंट

ग्रामीण जलापूर्ति प्रकॉष्ठ
पंचायती राज सोडो

Measurement of Vermi Composting

S.no	Item of Work	Nos	Measurement			Quantity	Unit	
			L	B	D/H			
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) including lift upto 1.50 m and lead upto 30 m and including filling watering and ramming of excavated earth into trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by Engineer In-Charge upto distance of 30m from the foundation trenches. as per Ref 2.1.1 DAR						cum	
		L/W	8	2.06	0.15	0.15		0.3708
		S/W	8	0.915	0.15	0.15		0.1647
		pillar foundation	4	0.45	0.45	0.45		0.091125
								0.626625
2	Providing and laying Cement Concrete in 1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curring complete, including cost of form work. in foundation as per Ref 4.1.10 DAR						cum	
		L/W	8	2.06	0.15	0.15		0.3708
		S/W	8	0.915	0.15	0.15		0.1647
		pillar foundation	4	0.45	0.45	0.15		0.030375
								0.565875
3	Class-150 (Non Modular) brick work in 1:6 Cement and Coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per Ref 6.1.2 DAR						cum	
		L/W	8	2.06	0.115	0.46		0.871792
		S/W	8	0.915	0.115	0.46		0.387228
								1.25902
4	Brick on edge flooring with bricks of class-150 on a bed of 12 mm cement mortar, including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non modular bricks 1:6(1 cement:6 coarse sand						sqm	
			4	1.83	0.915			6.6978

Measurement of Vermi Composting

S.no	Item of Work	Nos	Measurement			Quantity	Unit	
			L	B	D/H			
5	12mm. Thick plaster with cement mortar in proportion of 1:6 cement & fine sand of 1.25 F.M of single coat on top of walls and pillars as per Ref 13.1.2 DAR						sqm	
		L/W	8	2.06	0.115			1.8952
		S/W	8	0.915	0.115			0.8418
		pillars	4	0.46	0.92			1.6928
								4.4298
6	Reinforced Cement concrete wok in pillars 1:1.5:3 Refer 5.2.2 DAR						cum	
		pillar foundation	4	0.3	0.3	0.15		0.054
			4	0.23	0.23	0.15		0.03174
			4	0.23	0.23	1		0.2116
								0.29734
7	Providing and fixing hand rail of approved size by welding etc. including applying priming coat of approved steel primer as per DAR No 10.26.1						kg	
		100mm dia vertical tube	4	1.2		9.89		47.472
		50mm dia	2	4		5.1		40.8
			2	3.51		5.1		35.802
			2	5.34		5.1		54.468
		40mm dia purlin	4	5.34		3.6		76.896
					255.438			
8	Providing reinforced by organic fibres and/or inorganic synthetic fibres cement 6mm thick corrugated sheets roofing up to any pitch and fixing with polymer coated J, or L hooks, bolts and nuts 8mm dia GI plain and bitumen washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete (excluding the cost of purlins, rafters and trusses), including cutting sheets to size and shape wherever required						sqm	
			1	4.11	5.94			24.4134

BILL OF QUANTITY

S.no	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) including lift upto 1.50 m and lead upto 30 m and including filling watering and ramming of excavated earth into trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by Engineer In-Charge upto distance of 30m from the foundation trenches. as per Ref 2.1.1 DAR	cum	0.626625	156	97.7535
2	Providing and laying Cement Concrete in 1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curring complete, including cost of form work. in foundation as per Ref 4.1.10 DAR	cum	0.565875	6554	3708.745
3	Class-150 (Non Modular) brick work in 1:6 Cement and Coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per Ref 6.1.2 DAR	cum	1.25902	6781	8537.415
4	Brick on edge flooring with bricks of class-150 on a bed of 12 mm cement mortar, including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non modular bricks 1:4(1 cement:4 coarse sand	sqm	6.6978	750	5023.35

-1A

-196

BILL OF QUANTITY

S.no	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
5	12mm. Thick plaster with cement mortar in proportion of 1:6 cement & fine sand of 1.25 F.M of single coat on top of walls as per Ref 13.1.2 DAR	sqm	4.4298	150	664.47
6	Reinforced Cement concrete wok in pillars 1:1.5:3 Refer 5.2.2 DAR	cum	0.29734	8815	2621.052
7	Providing and fixing hand rail of approved size by welding etc. including applying priming coat of approved steel primer as per DAR No 10.26.1	kg	255.438	113	28864.49
8	Providing reinforced by organic fibres and/or inorganic synthetic fibres cement 6mm thick corrugated sheets roofing up to any pitch and fixing with polymer coated J, or L hooks, bolts and nuts 8mm dia GI plain and bitumen washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete (excluding the cost of purlins, rafters and trusses), including cutting sheets to size and shape wherever required	sqm	24.4134	332	8105.249
GRAND TOTAL					57622.53

-253.5

-2621.052

-28864.49

-8105.249

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/1004/2022-5/35/20.22 लखनऊ दिनांक:08 सितम्बर, 2022
विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत एस0बी0एम0जी0 टीम द्वारा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मण्डलीय भ्रमण किया जा रहा है। जिसमें ओ0डी0एफ0 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा का क्रय किया जाना है। अधिकांश जनपदों द्वारा उक्त वेस्ट कलेक्शन ई-रिक्शा का स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में जेम पोर्टल व इण्डियामार्ट वेबसाइट पर उपलब्ध 500 किग्रा0 क्षमता एवं 300 किग्रा0 क्षमता के 02 अलग-अलग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा के विस्तृत विनिर्देश (Specification) तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ई-रिक्शा जिसमें गुणवत्ता परक पार्ट्स, गारण्टी/वारण्टी, सर्विसिंग/मेनेटेन्स आदि की समुचित व्यवस्था हो को क्रय किया जा सकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/1004/2022-5/35/2022 लखनऊ दिनांक:08 सितम्बर, 2022
विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत एस0बी0एम0जी0 टीम द्वारा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मण्डलीय भ्रमण किया जा रहा है। जिसमें ओ0डी0एफ0 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा का क्रय किया जाना है। अधिकांश जनपदों द्वारा उक्त वेस्ट कलेक्शन ई-रिक्शा का स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में जेम पोर्टल व इण्डियामार्ट वेबसाईट पर उपलब्ध 500 किग्रा0 क्षमता एवं 300 किग्रा0 क्षमता के 02 अलग-अलग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा के विस्तृत विनिर्देश (Specification) तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ई-रिक्शा जिसमें गुणवत्ता परक पार्ट्स, गारण्टी/वारण्टी, सर्विसिंग/मेनेटेन्स आदि की समुचित व्यवस्था हो को क्रय किया जा सकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

E-Rickshaw For Garbage Collection 500 kg

Product Specification

Loading Capacity	Upto 500 kg
Usage/ Application	Garbage Collection
Battery Type	Lead Acid / Lithium Ion
Motor Rating	1250 W
Warranty	Chassis & Tyres - 24 months, Motor & Controller - 6 months
No. of batteries required	4 (Lead Acid) / 1 (Lithium Ion)
Charger	48V 15A
Body Material	Mild Steel
Front Suspension Type	Telescopic Hydraulic Shock Absorbers
Rear Suspension Type	Leaf Springs (5 -Left, 5- Right)
Front Brakes Type	130 mm dia (Drum Type)
Rear Brake Type	160 mm dia (Drum Type)
Wheel Base	2160 mm
Country of Origin	Made in India
Max Speed	25 km/hr
Wheel Size	3.75 inch x 12 inch
Motor Type	BLDC Geared
Speedometer	Analog with Trip Meter
Ground Clearance	180 mm
Starting System	Push Stop Start Button
No. of wheels	3+Stepney
Seating Capacity	1
Power Source	Battery Operated
Vehicle Dimensions (L x W x H)	2790 mm x 990 mm x 1730 mm
Container Dimensions	5 ft x 3.25 ft x 3.25 ft
Gross Vehicle Weight	810 kg
KMs driven per charge	60 km/ 80 km/ 100 km/ 120 km (basis battery type and capacity chosen)
Drive Train	Motor & Controller Operated
System Voltage	48V
Controller Rating	48V 50A
Differential Size	33 inch
Body Type	Mild Steel
Roof type	Mild Steel
Front Type	Glass Front
Standard Rim	Included
Headlamps	Halogen (1 in no.)
Tail Lights	LED (2 in no.)



Front & Rear Side Indicators	LED (8 in no.)
Steering Type	Stainless Steel Handlebar
Rear View Side Mirrors	2
Standard features	Side Curtains, Foot Mats, Cabin Light, Hand Holds, Audio/Infotainment System, Leatherette Seats
Safety features	Horn, Handbrake, Reverse Alarm, Jack, Toolkit, Fire Extinguisher, First Aid Kit
Mechanical Hydraulics	Optional
Electrical Hydraulics	Optional

E-Rickshaw For Garbage Collection 300 kg

Product Specification



Loading Capacity	Upto 300 kg
Usage/ Application	Garbage Collection
Battery Type	Lead Acid / Lithium Ion
Motor Rating	1000 W
No. of batteries required	4 (Lead Acid) / 1 (Lithium Ion)
Charger	48V 15A
Body Material	Mild Steel
Front Suspension Type	Telescopic Hydraulic Shock Absorbers
Rear Suspension Type	Leaf Springs (5 -Left, 5- Right)
Front Brakes Type	130 mm dia (Drum Type)
Rear Brake Type	160 mm dia (Drum Type)
Wheel Base	2160 mm
Country of Origin	Made in India
Ground clearance	180 mm
Max speed	25 km/hr
Motor type	BLDC Geared
Speedometer	Analog with Trip Meter
Starting system	Push Stop Start Button
Wheel size	3.75 inch x 12 inch
Loading Capacityy	300 kg
No. of wheels	3 + stepney
Seating Capacity	1
Vehicle Dimensions (L x W x H)	2790 mm x 990 mm x 1730 mm
Container Dimensions (L x W x H)	5 ft x 3.25 ft x 3.25 ft



Container Type	1 - Dry Waste, 1 - Wet Waste
Gross Vehicle Weight	810 kg
KMs driven per charge	60 km/ 80 km/ 100 km/ 120 km (basis battery type and capacity chosen)
Drive Train	Motor & Controller Operated
System Voltage	48V
Controller Rating	48V 50A
Differential Size	33 inch
Body Type	Mild Steel
Roof Type	Mild Steel
Front Type	Glass Front
Tyre Brand	TVS / CEAT / Ralco
Standard Rim	Included
Headlamps	Halogen (1 in. no.)
Tail Lights	LED (2 in no.s)
Front & Rear Side Indicators	LED (8 in no.s)
Steering Type	Stainless Steel Handlebar
Rear View Side Mirrors	2
Standard features	Side Curtains, Foot Mats, Hand Holds, Audio/Infotainment System, Leatherette Seats
Optional Accessories	Fog Light, Rain Wiper, GPS, Reverse Camera with LED Screen
Safety features	Horn, Handbrake, Reverse Alarm, Jack, Toolkit, Fire Extinguisher, First Aid Kit
Mechanical Hydraulics	Optional
Electrical Hydraulics	Optional



Handwritten signature



Handwritten signature or name.

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/931/2022-5/35/2022 लखनऊ दिनांक: 25 अगस्त, 2022
विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैचर व फिल्टर चेम्बर के
मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को झांसी मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से वार्ता की गई, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी किया गया।

भ्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैचर/फिल्टर चेम्बर की लगाई गई तकनीक गलत थी, इस सम्बन्ध में पूर्व में भेजी गई ड्राइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यकता के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/931/2022-5/ /20... लखनऊ दिनांक: 25 अगस्त, 2022
विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैचर व फिल्टर चेम्बर के
मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को झांसी मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से वार्ता की गई, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी किया गया।

भ्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैचर/फिल्टर चेम्बर की लगाई गई तकनीक गलत थी, इस सम्बन्ध में पूर्व में भेजी गई ड्राइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यकता के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,



स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं०), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।



(सि.सि.सि.सि.)
 उप निदेशक (सि.)
 पंचायती राज उ० प्र०

Handwritten signature

Project Name and Address Panchayati Raj Gramin Jalapuri Prakoshthi Prakoshthi		No. _____ Revision/Issue _____ Date _____
Design Name and Address ASHISH K DOT 7 K		Scale 1:1
Project No. SBM-G 23-06-2022	Sheet No. 00	Total No. of Sheets 1-1

Detail of measurement

Work Name :-Construction of Silt Chamber

S.NO	ITEM	No.	L	W	H	QTTY	UNIT
1	E/w excavation in foundation o/soil in drain i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	1.60	7.20	cum
					Total =	7.20	cum
2	CC in 1:6:12 cement, c/sand & 20mm s/ballast mortor i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	0.08	0.34	cum
					Total =	0.34	cum
3	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work Foundation						
		2	3.00	0.23	1.50	2.07	cum
		2	1.04	0.23	1.50	0.72	cum
		2	1.00	0.115	0.60	0.14	cum
		2	1.00	0.230	0.60	0.28	cum
					Total =	3.21	cum
	deduction	1	0.45	0.23	0.60	0.06	cum
		1	0.45	0.23	0.30	0.03	cum
					Total =	3.12	cum
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work						
		2	3.00		1.50	9.00	sqm
		2	1.04		1.50	3.12	sqm
		1	1.00		2.11	2.11	sqm
		4	1.00		0.60	2.40	sqm
					Total =	16.63	sqm
	deduction	1	0.45		0.60	0.27	sqm
		1	0.45		0.30	0.14	sqm
					Total =	16.22	sqm
6	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
					Total =	0.45	cum
7	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	1	0.45	0.785	1.20	0.42	qtl
8	S/o Screening Bar	1				1.00	Job
9	Provision for Photo graphy	1				1	Job

महिम कुमार
पेटे कन्सल्टेंट प्रिजिन्टिंग एंड
स्वच्छ भारत मिशन डिप्टी

61
(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०


ABHISHEK DOTTA.
(only dng. prepared)


Consumption of material

Work Name :-Construction of Silt Chamber

S.NO	ITEM	Qty	Cement	C/Sand	M150 Brick	40 mm B/B	20 mm S/B	F/Sand
1	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortar i/c all the complete	3.12	5.77	0.84	1435.20			
2	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortar i/c all the	16.22	1.78	0.24				
3	Cc in 1:6:12 cement, c/sand & 40mm B/ballast mortar i/c all	0.34	0.77			0.34		0.16
4	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortar i/c all	0.45	3.00	0.20			0.41	
	Total =	11.32	11.32	1.29	1435.20	0.34	0.41	0.16
	Say =	11.00	11.00	1.30	1435.00	0.30	0.40	0.20
			Bag	cum	No.	cum	cum	cum


महेश कुमार
स्टेट कॉन्सल्टेंट (एम्प्लॉयमेंट)
स्वच्छ भारत मिशन (राजस्थान)


(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०


ABHISHEK DUTTA
(only dig prepared).

Bill of quantity

Work Name :-Construction of Silt Chamber


(Material cost)


S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	11.00	Bag	364.80	4012.80
2	S/o C/sand	1.30	cum	2049.90	2664.87
3	S/o M150 class Brick	1435	1000	7.21	10343.48
4	S/o 40mm B/Ballast	0.30	cum	1219.00	365.70
6	S/o 20mm s/Ballast	0.40	cum	2753.90	1101.56
7	S/o M/s Iron Bar	0.42	Qtl	7434.00	3122.28
8	S/o F/sand	0.20	cum	1796.90	359.38
9	S/o Screening Bar	1.00	Job	L-S	500.00
17	Provision for photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	22770.07

(Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	E/w excavation foundation in o/soil i/c to the complete work (Boxxing).	7.20	cum	155.00	1116.00
2	CC in 1:6:12 cement, f/sand & 40mm B/ballast mortar i/c all the complete work	0.34	cum	1190.00	404.60
3	M150 class b/w 1:6 cement & c/sand mortar i/c all the complete work (Foundation)	3.12	cum	860.00	2683.20
4	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortar i/c all the complete work (drain)	16.22	cum	94.00	1524.68
5	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortar i/c all the complete work	0.45	cum	2160.00	972.00
6	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	0.42	qtl	1850.00	777.00
				Total =	7477.48


 महेश कुमार
 स्टेट कन्सल्टेंट (सि-वाटर/वायु/वायुमंडल)
 सचिव भवन


 (एस.एन. सिंघा)
 उप निदेशक (पं०)
 पंचायती राज उ० प्र०


 ABHISHEK DATTA
 (only design prepared)


SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Silt Chamber


S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	7477.48
2	Material Cost	22770.07
	Total =	30247.55
	Say =	0.30 Lakh




महिम कुमार
स्टेट कन्सल्टेंट (इन्फ्रस्ट्रक्चर डेव्लपमेंट)
स्वच्छ भारत मिशन (सी)



(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पीओ)
पंचायती राज उओ प्रओ



ABHISHEK DATTA
(only drng mepaid).



(र.स. ए. ए. ए.)
 स.प. निदेशक (पि.)
 पंचायती राज उ० प्र०
 पंजाब प्रांत

Project Name and Location Panchayat Rai Gramin Jalapuri Prakash	
No.	Date
Revision/Status	Cost
Project Name and Location FLYER CHAMBER	
No. SBM-G 23-08-2022 11	00

Detail of measurement

Work Name :-Construction of Filter Chamber

S.NO	ITEM	No.	L	W	H	QTTY	UNIT
1	E/w excavation in foundation o/soil in drain i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	1.85	8.33	cum
					Total =	8.33	cum
2	CC in 1:6:12 cement, c/sand & 20mm s/ballast mortor i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
					Total =	0.45	cum
3	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.05	0.23	cum
					Total =	0.23	cum
4	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work Foundation						
		2	3.00	0.23	1.70	2.35	cum
		2	1.04	0.23	1.70	0.81	cum
		1	1.04	0.23	1.40	0.33	cum
		1	1.04	0.23	1.10	0.26	cum
					Total =	3.75	cum
	deduction	1	0.45	0.23	0.60	0.06	cum
		1	0.45	0.23	0.30	0.03	cum
					Total =	3.66	cum
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work						
		2	2.54		1.70	8.64	sqm
		2	1.04		1.70	3.54	sqm
		1	1.04		1.40	1.46	sqm
		1	1.04		1.10	1.14	sqm
					Total =	14.78	sqm
	deduction	1	0.45		0.60	0.27	sqm
		1	0.45		0.30	0.14	sqm
					Total =	14.37	sqm
6	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
		1	1.80	1.50	0.075	0.20	cum
					Total =	0.65	cum
7	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	1	0.65	0.785	1.20	0.61	qtl
8	S/o Hessian cloth	1	1.80	1.040		1.87	sqm
9	S/o 50 to 70mm Brick Bats	1	1.34	1.04	0.40	0.56	cum
10	S/o 25 to 40 mm Brick Ballast	1	1.34	1.04	0.30	0.42	cum
11	S/o c/sand	1	1.34	1.04	0.30	0.42	cum
12	Provision for Photo graphy	1				1	Job

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (एस.एन. सिंह)
 उप निदेशक (पं०)
 पंचायती राज उ० प्र०

[Handwritten signature]
 ABHISHEK DUTTA
 (only Eng prepared)

Consumption of material

Work Name :-Construction of Filtter Chamber

S.NO	ITEM	Qty	Cement	C/Sand	M150 Brick	40 mm B/B	20 mm S/B	F/Sand	Brick Bats
1	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete	3.66	6.77	0.99	1683.60				
2	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the	14.37	1.58	0.22					
3	Cc in 1:6:12 cement, c/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all	0.45	1.01			0.45		0.22	
4	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all	0.65	4.33	0.29			0.59		
5	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all	0.23	1.53	0.10			0.21		
6	S/o 40mm Brick Ballast	0.42				0.42			
7	S/o C/sand	0.42		0.42					
8	S/o Brick Bats	0.61							0.61
		Total =	15.23	2.02	1683.60	0.87	0.79	0.22	0.61
		Say =	15.00	2.00	1680.00	0.90	0.80	0.20	0.60
			Bag	cum	No.	cum	cum	cum	cum

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (एस.एन. सिंह)
 उप निदेशक (पं०)
 पंचायती राज उ० प्र०

[Handwritten signature]
 ABHISHEK DUTTA
 (only dig. prepared)

महिन कलक
 स्टेट काउन्सिल
 इन्डिया

Bill of quantity

(Material cost)

S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	15.00	Bag	364.80	5472.00
2	S/o C/sand	2.00	cum	2049.90	4099.80
3	S/o M150 class Brick	1680	1000	7.21	12109.44
4	S/o 40mm B/Ballast	0.90	cum	1219.00	1097.10
5	S/o Bric Bats	0.60	cum	1166.00	699.60
6	S/o 20mm s/Ballast	0.80	cum	2753.90	2203.12
7	S/o M/s Iron Bar	0.61	Qtl	7434.00	4534.74
8	S/o F/sand	0.20	cum	1796.90	359.38
	S/o Hessian cloth	1.87	sqm	37.76	70.69
17	Provision for photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	30945.87

(Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	E/w excavation foundation in o/soil i/c to the complete work (Boxxing).	8.33	cum	155.00	1291.15
2	CC in 1:6:12 cement, f/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all the complete work	0.45	cum	1190.00	535.50
3	M150 class b/w 1:6 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (Foundation)	3.66	cum	860.00	3147.60
4	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (drain)	14.37	cum	94.00	1350.78
5	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.65	cum	2160.00	1404.00
6	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	0.61	qtl	1850.00	1128.50
8	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.23	cum	1550.00	356.50
				Total =	9214.03


महिम कुमार
स्टेट कन्सल्टेंट (एन०एन०इन्फ्रामा)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)


SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Fillter Chamber

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	9214.03
2	Material Cost	30945.87
	Total =	40159.90
	Say =	0.40 Lakh

महिन कानन
स्टेट कॉन्सल्टेंट्स प्रिवेट लिमिटेड
स्वच्छ भारत मिशन


(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०


ABHISHEK DUTTA
(only dty. prepared)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक²⁶ अगस्त, 2021

विषय: सौ दिवसीय "स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान" (Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज-I के प्रथम चरण में खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने एवं ओ0डी0एफ0 स्तर प्राप्त करने के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय को व्यापक स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। लोगों को नियमित स्वच्छता एवं साफ सफाई का व्यवहार बनाये रखने के लिये ओ0डी0एफ0 स्तर के स्थायित्व एवं स्वच्छता व्यवहारों को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है।

2- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II में सुरक्षित ग्रे-वाटर प्रबन्धन हेतु समुदाय स्तरीय सोखता गड्ढे बनाये जाने पर जोर दिया गया है। सामुदायिक सोखता गड्ढे ग्रे-वाटर प्रबन्धन हेतु समस्त प्रदेशों में प्रभावी पाये गये हैं।

3- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एस.11018/1/2021-एस.बी.एम.-5-डी.डी.डब्लू.एस.-पार्ट(1) दिनांक 23.08.2021 द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 से एक सौ दिवसीय "स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान" प्रारम्भ किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त अभियान के अन्तर्गत गांव में ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व हेतु लोगों को जागरूक करते हुए उनकी सहभागिता से ग्रे-वाटर प्रबन्धन हेतु वृहद स्तर पर सामुदायिक सोखता गड्ढों का निर्माण कराया जाना है। अभियान के दौरान निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय:-

(1) अभियान के दौरान लक्षित 9.56 लाख परिवारों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जाये। इस कार्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

(2) प्रति राजस्व गांव कम से कम 5 सामुदायिक सोखता गड्ढों का निर्माण पूर्ण करायें। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि से किया जाएगा।

(3) प्रत्येक राजस्व ग्राम में 10 व्यक्तिगत सोखता गड्ढे का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराया जाए।

(4) सभी निर्मित कराये जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित SBM 2.0 IMIS App के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाये।

सुलभ संदर्भ हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढो की डिजाइन व स्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- सामुदायिक व घरेलू सोख्ता गड्ढे का मॉडल स्टीमेट एवं डिजाइन।

भवदीय
Manoj 26.8.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (प0), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

No.S-11018/1/2021-SBM-V-DDWS-Part(1)
Government of India
Ministry Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003
Dated, the 23rd August, 2021

To:

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
In-charge of rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Implementing 100 days Campaign – “Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits” (स्थायित्व एवम सुजलम अभियान) –reg

Madam/Sir,

You are aware that elimination of open defecation and achievement of Open Defecation-free (ODF) status for the villages in the first Phase of Swachh Bharat Mission (Grameen) has resulted in noticeable health and economic benefits for rural population. It is critical that the ODF status is sustained and improved behaviors around defecation practice is reinforced to ensure that people continue to realize sustainable health and hygiene benefits.

2. Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-2 emphasizes on creating community level soak pits to ensure safe disposal of greywater in rural areas. Soak pits-especially have been found to be very effective across States in managing greywater in a decentralized way.

3. Department of Drinking Water and Sanitation is initiating a 100 days campaign starting 25th August 2021 to reenergize efforts at the local level and mobilize people for collective action on achieving sustainability of ODF outcomes and achieve construction of a million soak pits for management of grey water in rural areas across the States. The following needs to be undertaken to achieve the intended objectives of the campaign:

- i. A launch at the State level involving Hon'ble Chief Minister and Minister In charge of Sanitation
- ii. Develop ambitious and measurable targets for the campaign
- iii. Directive be issued to all the Districts to kick start the 100 days campaign covering all villages in the District
- iv. District level Orientation of Gram Panchayats to mobilise them initiate action in villages
- v. Developing local IEC materials to inform, engage and mobilise communities for collective action on sustainability

- vi. Ensuring participation of Public Representatives in the campaign
- vii. Set up monitoring and support arrangements for the campaign
- viii. Field visits/ night stays by District level Officials during the campaign.

4. The key activities that need to happen in the villages include:

- a) Organizing Community consultations, *Khuli Baithaks* and Gram Sabha meetings to analyze the current situation
- b) Pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water
- c) Develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities
- d) Construct requisite number of soakpits
- e) Retrofit toilets where needed through IEC and community mobilization and
- f) Ensure all newly emerging Households in the village have access to toilets

5. Swachh Bharat Mission (Grameen) funds could be used for interventions to be undertaken related to ODF sustainability and for construction of soak pits in the villages as per guidelines. Also, to meet any shortfall in funds requirements, XV FC grants and MGNREGS can be used.

6. You are requested to kindly plan for implementation of this campaign. A copy of the plan may also be shared with this Department. DDWS Officials are available for any support that you may like on planning and implementation of the campaign.

7. I am confident that you would provide personal leadership to this very important campaign.

Yours sincerely,



(Arun Baroka)

Additional Secretary to the Government of India

Phone: 011-24362192

E-mail: arun.baroka@nic.in

Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM (G), All States/UTs

(4) सभी निर्मित कराये जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित SBM 2.0 IMIS App के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाये।

सुलभ संदर्भ हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढो की डिजाइन व स्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- सामुदायिक व घरेलू सोख्ता गड्ढे का मॉडल स्टीमेट एवं डिजाइन।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेजयल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (प0), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Hans
(मनोज कुमार सिंह) 26.8.21
अपर मुख्य सचिव।
३

No.S-11018/1/2021-SBM-V-DDWS-Part(1)
Government of India
Ministry Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003
Dated, the 23rd August, 2021

To,

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
In-charge of rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Implementing 100 days Campaign – “Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits” (स्थायित्व एवम सुजलाम अभियान) –reg

Madam/Sir,

You are aware that elimination of open defecation and achievement of Open Defecation free (ODF) status for the villages in the first Phase of Swachh Bharat Mission (Grameen) has resulted in noticeable health and economic benefits for rural population. It is critical that the ODF status is sustained and improved behaviors around defecation practice is reinforced to ensure that people continue to realize sustainable health and hygiene benefits.

2. Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-2 emphasizes on creating community level soak pits to ensure safe disposal of greywater in rural areas. Soak pits especially have been found to be very effective across States in managing greywater in a decentralized way.

3. Department of Drinking Water and Sanitation is initiating a 100 days campaign starting 25th August 2021 to reenergize efforts at the local level and mobilize people for collective action on achieving sustainability of ODF outcomes and achieve construction of a million soak pits for management of grey water in rural areas across the States. The following needs to be undertaken to achieve the intended objectives of the campaign:

- i. A launch at the State level involving Hon'ble Chief Minister and Minister In charge of Sanitation
- ii. Develop ambitious and measurable targets for the campaign
- iii. Directive be issued to all the Districts to kick start the 100 days campaign covering all villages in the District
- iv. District level Orientation of Gram Panchayats to mobilise them initiate action in villages
- v. Developing local IEC materials to inform, engage and mobilise communities for collective action on sustainability

Handwritten mark

Handwritten signature

- vi. Ensuring participation of Public Representatives in the campaign
- vii. Set up monitoring and support arrangements for the campaign
- viii. Field visits/ night stays by District level Officials during the campaign.

4. The key activities that need to happen in the villages include:

- a) Organizing Community consultations, *Khuli Baithaks* and Gram Sabha meetings to analyze the current situation
- b) Pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water
- c) Develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities
- d) Construct requisite number of soakpits
- e) Retrofit toilets where needed through IEC and community mobilization and
- f) Ensure all newly emerging Households in the village have access to toilets

5. Swachh Bharat Mission (Grameen) funds could be used for interventions to be undertaken related to ODF sustainability and for construction of soak pits in the villages as per guidelines. Also, to meet any shortfall in funds requirements, XV FC grants and MGNREGS can be used.

6. You are requested to kindly plan for implementation of this campaign. A copy of the plan may also be shared with this Department. DDWS Officials are available for any support that you may like on planning and implementation of the campaign.

7. I am confident that you would provide personal leadership to this very important campaign.

Yours sincerely,




(Arun Baroka)

Additional Secretary to the Government of India


Phone: 011-24362192

E-mail: arun.baroka@nic.in


Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM (G), All States/UTs



MODEL DESIGN FOR GREY WATER COMMUNITY SOAK PIT (2500MM DIAMETER)



PLAN FOR PUBLIC GREY WATER UNLINED-SOAK PIT



SECTION AT A-A'

Swachh Bharat Mission Grameen, Uttar Pradesh

DATE: 25/08/2021

SCALE: NOT TO SCALE (N.T.S.)

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

DRG. NO: R01DC/D-3.

PLAN AND SECTIONAL ELEVATION OF
COMMUNITY UNLINED SOAK PIT

DRAWN BY:

IDC
INDIAN DEVELOPMENT CENTER

KEY RESOURCE CENTER
Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

SUMMARY OF COST

S.No.	Item of work	Unit	Amount
1	As per Bill of quantity Labour Cost	Rs.	2934.17
2	As per Bill of Quantity Material Cost	Rs.	8710.64
3	Sub Total	Rs.	11644.81
4	Total	Rs.	11645
	Say		11.7 Thousands

Amey

H

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER COMMUNITY SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

DETAILS OF MEASUREMENT AND ABSTRACT OF COST

Pricing is done as per UPPWD (Building) Schedule of rate 2020 Mainpur. But items for which the rates are not available market rates are accounted.

S.No	Items	No	L	B	H	Qty.	Unit	Rate	Amount	Comments
1	Excavation in foundations in ordinary soil (loam clay or sand) including lift upto 1.5 m, (5 fts.) and lead upto 30m.(100 fts.) & including filling, watering and ramming of excavated earth into the trenches or into space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-in-charge upto a distance of 30 m. (100 fts.) from the foundation trenches.	3	4	5	6	7.00	8	9	10	
	For soak pit	1	0.5	0.9	0.55	0.4455				
	For silt chamber	1	4.91		1	4.91				
	UPSOR-251					5.3555	Cu.M	135	722.9925	
2	Providing and laying Cement concrete 1:4:8 (1 cement : 4 fine sand : 8 graded brick aggregate including supply of all material,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost of formwork in foundation & floor.	1	0.8	0.9	0.1	0.081				
	Base of silt chamber	1	0.8	0.9	0.1	0.081	Cu.M	5300	429.3	UPSOR-274, A.4.1.8
3	First Class brick work in 1 : 5 cement and fine sand of 1.25 P.M. mortar & P etc. required for proper completion of the work.									
	In foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.	4	0.565	0.23	0.45	0.23391				
	Silt chamber	4	0.565	0.23	0.45	0.23391	Cu.M	4850	1134.4635	UPSOR-4,1
4	M.C.C (1:2:4) cover (Reinforcement to be paid separately),including formwork	1	0.91	0.91	0.1	0.08281				
	Silt pit	1	4.91		0.05	0.2455				
	Mid steel reinforcement work including straightening, cutting, banding, placing in position and binding with black MS binding wire.					0.32831	Cu.M	6180	2019.1088	UPSOR-1.14
5	12mm dia bars at 200 mm cc (6 nosx 8)	10	0.9			9	m			
	Soak pit	24	1.5			36	Kg			
	6 mm bars @150 mm					7.892	Kg			
	Total					18.002	Kg			market rate
6	Providing and fixing 17turn dia. PVC pipe conforming to IS make working pressure 4 Kg/5qcm including testing labour T&P and all complete fittings from chamber outlet to soak pit	3				3	m			
	UPSOR-225-42					360	m	1080		
7	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	1	4.91	0.49	2.41	950	Cu.M	2285.806		UPSOR-38(M),13(L)
8	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	1	4.91	0.19	0.93	950	Cu.M	885.265		UPSOR-38(M),13(L)
9	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	1	4.91	0.19	0.93	1175	Cu.M	1095.1575		UPSOR-38(M),13(L)
10	Filling of sand in top layer	1	4.91	0.13	0.54	1300	Cu.M	829.79		UPSOR-12(M),13(L)
11	12 mm Cement plaster (1 : 6) in single coat of fair side of single of brick wall for interior plastering. In girth and finished even and smooth No. extra for mixing any additive.	3	0.43	0.45	0.8075		Sq.m	169	97.2	UPSOR 13.4
	Soak pit					0.8075				
	Total								11701.01	

Say Eleven thousand seven hundred rupees Only

Handwritten signatures and initials

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

Consumption of Material

S. No.	Item of work	Qty.	@	Cement bag	@	M-150 Bricks no	@	Coarse Sand (cum)	@	70-100mm Stone Boulder (cum)	@	50-70mm Stone Boulder (cum)	@	20-30mm Stone Boulder (cum)	@	Local sand (cum)
1	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	2.41								1.00	2.41	-				
2	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.93									1.00	0.93				
3	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.93											1.00	0.93		
4	Filling of sand in top layer	0.64													1.00	0.64
5	Brick work for silt chamber	0.23	1.25	0.29	460	108	0.30	0.07								
6	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:6 including labour material & T&P etc.	0.81	0.066	0.04			0.020	0.01								
7	PCC in 1:4:8 with cement, sand and 20 mm dia grit all complete	0.08	3.40	0.28			0.95	0.08					0.47	0.04		
8	RCC work with proportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.33	6.67	2.19			0.50	0.16					0.90	0.30		
		Total		2.80		107.60		0.32		2.41		0.93		1.27		0.64
		say		3.00		108.00		0.40		2.50		1.00		1.30		1.00

Amrit

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm.dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (MATERIAL)

S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount
1	Supply of Cement	3.00	330.00	bag	990.00
2	Supply of local sand	1.00	1000.00	cum	1000.00
3	Supply of coarse sand	0.40	1150.00	cum	460.00
4	Supply of 20-30mm aggregate	1.30	875.00	cum	1137.50
5	Supply of M-150 Bricks	108.00	9.00	no.	972.00
6	Supply of 70-100mm Stone boulder	2.50	650.00	cum	1625.00
7	Supply of 50-70mm Stone boulder	1.00	650.00	cum	650.00
8	Supply of steel	16.00	70.00	kg	1120.14
9	S/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and labour, T&P etc. complete.	3	252.00	mnt	756.00
	Total amount			Rs.	8710.64

Handwritten signature

Handwritten mark

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (LABOUR)


S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount
1	E/W in excavation in foundation in ordinary soil i/c lead up to 30 m and lift up to 1.5 m i/c all labour	5.36	110.00	cum	589.11
2	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	2.50	300.00	cum	750.00
3	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	1.00	300.00	cum	300.00
4	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	1.00	300.00	cum	300.00
5	Filling of sand in top layer	1.00	300.00	cum	300.00
6	Brick work for silt chamber	0.23	920.00	cum	215.20
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm dalla grit all complete	0.08	1000.00	cum	81.00
8	RCC work with praportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.33	80.00	sqm	26.26
9	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:4 including labour material & T&P etc.	0.61	80.00	sqm	48.60
10	L/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and labour t and p etc complete.	3	108.00	mnt	324.00
Total amount					Rs. 2934.17

K. Singh


4

MODEL DESIGN FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAK PIT

(1000MM DIAMETER)



PLAN FOR HOUSEHOLD GREY WATER UNLINED-SOAK PIT



SECTION AT A-A'

Swachh Bharat Mission Grameen, Uttar Pradesh

DATE: 25/08/2021

SCALE: NOT TO SCALE (N.T.S)

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

DRG. NO: R01D/C/D-2

PLAN AND SECTIONAL ELEVATION OF HOUSEHOLD UNLINED SOAK PIT

Drawn By:



KEY RESOURCE CENTER

Panchayat Raj Department, Uttar Pradesh

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

SUMMARY OF COST

S.No.	Item of work	Unit	Amount
1	As per Bill of Quantity Labour Cost	Rs.	1055.36
2	As per Bill of Quantity Material Cost	Rs.	4108.74
3	Sub Total	Rs.	5164.10
4	Total	Rs.	5164
	Say		5.2 Thousands

Signature

H

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER COMMUNITY SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

DETAILS OF MEASUREMENT AND ABSTRACT OF COST

Pricing is done as per UPPWD (Building) Schedule of rate 2020 Mainpur. But items for which the rates are not available market rates are accounted.

S.No.	Items	No	L	B	H	Qty.	Unit	Rate	Amount	Comments
1	Excavation in foundations in ordinary soil (loam clay or sand) including lift upto 1.5 m. (5 fts.) and lead upto 30m.(100 fts.) & including filling, watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-in-charge upto a distance of 30 m. (100 fts.) from the foundation trenches.	1								
	For Silt chamber	1	0.9	0.9	0.55					
	For Soak pit	1	0.79		1					
	UPSOR-251				1.2368	Cu.M	136	168.7926		
2	Providing and laying Cement concrete 1:4:8 (1 cement : 4 fine sand : 8 graded brick aggregate including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete) including cost of formwork in foundation & floors.	1								
	Base of silt chamber	1	0.9	0.5	0.1					
	UPSOR-274, A, 4, 1, B				0.081	Cu.M	5300	429.3		
3	First Class brick work in 1 : 5 cement and fine sand of 1.26 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work	4								
	Silt chamber	4	0.668	0.23	0.46					
	UPSOR-4, 1				0.23391	Cu.M	4850	1134.4635		
4	R.C.C (1:2:4) cover (Rainforcement to be paid separately) including formwork	1	0.91	0.81	0.1					
	Silt chamber	1	0.79		0.06					
	UPSOR-4, 1, 4				0.12231	Cu.M	6150	752.2065		
5	Mild steel reinforcement work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding with black MS binding wire	10								
	Silt chamber	10	0.9		9					
	12mm dia bars at 200 mm cc (8 nosx 8)	9								
	12mm @ 0.89 Kg/m	9								
	Soak pit	18	0.6		9.6					
	6 mm bars @150 mm	2.1312								
	Total				10.1412	Kg	70	708.884		market rate
6	Providing and fixing 10mm dia. PVC pipe conforming to IS make working pressure 4 Kg/5qcm including testing labour &R & all complete fittings from chamber outlet to soak pit	3								
	UPSOR-226-42				3	m	360	1080		
7	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	1	0.79	0.49	0.39					
	UPSOR-38(M),13(L)				0.39	Cu.M	950	367.746		
8	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	1	0.79	0.19	0.15					
	UPSOR-38(M),13(L)				0.15	Cu.M	950	142.596		
9	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	1	0.79	0.19	0.15					
	UPSOR-38(M),13(L)				0.15	Cu.M	1175	178.3875		
10	Filling of sand in top layer	1	0.79	0.13	0.10					
	UPSOR-12(M),13(L)				0.10	Cu.M	1300	133.51		
11	12 mm Cement plaster (1: 6) in single coat of fair side of single or brick wall for interior plastering . In girth and finished even and smooth No. extra for mixing any additive.	3	0.45	0.45	0.6075					
	soak pit	3	0.45	0.45	0.6075	Sq.m	160	97.2		UPSOR 13,4
	Total								8190.064	

Say five thousand two hundred rupees Only

[Handwritten signatures and initials]

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

Consumption of Material

S. No.	Item of work	Qty.	@	Cement bag	@	M-150 Bricks no	@	Coarse Sand (cum)	@	70-100mm Stone Boulder (cum)	@	50-70mm Stone Boulder (cum)	@	20-30mm Stone Boulder (cum)	@	Local sand (cum)
1	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	0.39							1.00	0.39						
2	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.15							1.00		1.00	0.15				
3	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.15											1.00	0.15		
4	Filling of sand in top layer	0.10													1.00	0.10
5	Brick work for sift chamber	0.23	1.25	0.29	460	108	0.30	0.07								
6	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:6 including labour material & T&P etc.	0.61	0.066	0.04			0.020	0.01								
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm della grit all complete	0.08	3.40	0.28			0.95	0.08					0.50	0.04		
8	RCC work with praportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.12	6.67	0.92			0.50	0.06				0.90	0.11			
					1.42	107.60		0.22		0.39		0.15		0.30		0.10
				2.00		108.00		0.25		0.40		0.15		0.30		0.10

Handwritten signature

H

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (MATERIAL)

S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount
1	Supply of Cement	2.00	330.00	bag	660.00
2	Supply of local sand	0.10	1000.00	cum	102.70
3	Supply of coarse sand	0.25	1150.00	cum	287.50
4	Supply of 20-30mm aggregate	0.30	875.00	cum	263.09
5	Supply of M-150 Bricks	108.00	9.00	no.	972.00
6	Supply of 70-100mm Stone boulder	0.40	650.00	cum	260.00
7	Supply of 50-70mm Stone boulder	0.15	650.00	cum	97.57
8	Supply of steel	10.14	70.00	Kg	709.88
9	S/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and T&P etc complete.	3	252.00	rmt	756.00
	Total amount			Rs.	4108.74

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (LABOUR)

S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount
1	EM in excavation in foundation in ordinary soil i/c lead up to 30 m and lift up to 1.5 m i/c all labour	1.24	110.00	cum	135.91
2	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	0.40	300.00	cum	120.00
3	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.15	300.00	cum	45.03
4	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.15	300.00	cum	45.03
5	Filling of sand in top layer	0.10	300.00	cum	30.81
6	Brick work for silt chamber	0.23	920.00	cum	215.20
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm dalla grit all complete	0.08	1000.00	cum	81.00
8	RCC work with proportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.12	80.00	sqm	9.78
9	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:4 including labour material & T&P etc.	0.61	80.00	sqm	48.60
10	L/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and labour t and p etc complete.	3	108.00	mt	324.00
Total amount					Rs. 1055.36

Handwritten signature

Handwritten mark

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक-०७ अक्टूबर, 2021

विषय:-15वें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्ष 2021-2026 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)एफ०सी०-एक्स०वी०/एफ०सी०डी०/2020-25, दिनांक-14.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग वर्ष 2021-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दिए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बेसिक ग्राण्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत हिस्सा टाइड ग्राण्ट (30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन, वाटर रिसाइक्लिंग एवं 30 प्रतिशत ओ०डी०एफ० sustainability हेतु) एवं 40 प्रतिशत अनटाइड ग्राण्ट के रूप में अनुमन्य की गई है। तत्क्रम में पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-एम०- 11015/ 404/2020-एफ०डी०, दिनांक-23.08.2021 द्वारा अनटाइड ग्राण्ट के व्यय के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं तथा जल शक्ति मंत्रालय के पत्रांक- डब्ल्यू०-11042/52/2020-जे०जे०एम०-11,- डी०डी०डब्ल्यू०एस०, दिनांक-25.08.2021 के द्वारा टाइड ग्राण्ट व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित धनराशि इन्हीं निर्देशों के तहत किया जाना है।

2- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला:-

2.1- पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

2.2 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

2.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा भी जनपद की ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

Manoj

3- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड एवं अनटाइड ग्राण्ट के उपभोग हेतु दिशा निर्देश:-

(3.1) टाइड ग्राण्ट के उपभोग हेतु अनुमन्य कार्यों का विवरण:-

3.1.1 The tied grant can be used for:

- a.) supply of drinking water , rainwater harvesting and water recycling , and
- b.) Sanitation , maintenance of ODF status , and man agement and treatment of household waste including plastic waste , human excreta , gray water and faecal sludge .

The RLBs shall, as far as possible, earmark one half of the tied grant to each of these two critical services. However, if any RLB is fully saturated the need under one category and does not require funds for that purpose, it can utilize the funds for the other category. For example, if a local body has provided drinking water supply to every house hold in the area of its jurisdiction, it can utilize the funds for sanitation and vice versa. The concerned village assembly/Gram Sabha shall certify this , and it will be duly confirmed by the supervising authority of the Panchayat or the State Government . In case , residents / households within a village/Gram Panchayat/Block do have access to drinking water due to efforts of State/Central Government /various schemes implemented in the past , such Panchayats may utilize the funds on other sub - components like strengthen ing / augmentation of drinking water sources , provision of drinking water for the livestock , gray water treatment , rain water harvesting , water recycling / rejuvenation of water bodies in addition to maintaining existing water supply infrastructure.

3.1.2 Apart from the households, Gram Panchayats are to ensure the provision of potable water supply and sanitation services in public institutions like schools . , GP buildings , public places like weekly haat / market , mela ground , bus stand , playground / sports complex , etc. Gram Panchayats must focus on greywater treatment , reuse and ensure that untreated greywater is not released in water bodies or rivers.

3.1.3 The 15th Finance Commission has not distinguished between operation & maintenance (O & M) and capital expenditure within the categories of tied grant . It is for the RLBs to ensure that funds are first allocated and utilized towards creating infrastructure , usage and management arrangements for drinking water and sanitation services .Over the years RLBs can enter into O & M contracts / arrangements to ensure that benefits of improved drinking water and sanitation are realized on a sustainable basis . RLBs at block and district level, however can allow reverse pooling of funds available with them to District Unit of the State Nodal department to achieve economies of scale and utilize funds for strengthening service delivery (segregation of water and sanitation activities).

3.1.4 However , it is advised that the cost of technical and administrative support should not exceed 10 % of the allocation to the RLBs under tied grant , and the expenditure can be incurred only by the RLB concerned (GP / Block Panchayat / District Panchayat).

Manoj

3.1.5 The interest accrued in the savings bank accounts of the Panchayats / traditional bodies for the 15th Finance Commission tied grant is a part of the closing balance as on a particular date / year . Therefore , available combined balance , including the interest accrued , constitutes the opening balance for the subsequent year, which need not be transferred back. Funds devolved to any local body are to be utilized as per the guidelines issued on the subject from time to time and it applies to the interest part also.

3.1.6 During the 15th Finance Commission award period , if certain RLBs are converted into Urban Local Bodies (ULBs) , for example , Gram Panchayats into Town Panchayats , the converted RLB's unspent funds under the 15th Finance Commission tied grant at the time of such conversion should be returned to the State Government. The amount so collected should be added in the State - level 15th Finance Commission tied grant received by the State in the subsequent financial year and redistributed among the then existing RLBs .

3.2 बेसिक (अनटाइड) ग्राण्ट के उपयोग हेतु अनुमन्य कार्यों का विवरण:-

The FC - XV has recommended 40 % of the allocation as Basic Grants (Untied) to Rural Local Bodies (RLBs) The items of works / activities that may be taken up with the Basic (Untied) Grants include :/

Activities relating to the National priority areas of Health , Education and Nutrition in consultation with the respective State Departments /immunization of children /prevention of malnutrition of children :/construction and repair of Gram Panchayat Bhawans ; / construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP)/ and inter GP : construction and repair of foot paths within GP and /inter GP : construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system) - within GP and inter GP ;/ acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial grounds :/construction , repair and maintenance of crematorium ;/ providing sufficient and high bandwidth Wi - Fi digital network services within GP :/ public library:/ recreation facilities including children's park . playground , rural haat , sports & physical fitness equipment etc. and any other basic improved / enhanced service mandated by State Government under relevant State legislations ; / recurring expenditure for electricity , manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential (within 10 % limit) ;/ immediate relief work in the event of natural disasters / pandemic ; / discharge of responsibilities specifically mandated to Panchayats under various Acts / Laws e.g.

preparation and updation of People's Biodiversity Register (PBR) under Biodiversity Act, 2002.

RLBS can enter into Annual Maintenance Contracts Service contracts for providing the services to rural residents. However , expenditure from the Grants on the negative list , namely , expenditure on items already being funded from other schemes ,

Manaf

felicitation cultural functions / decorations / inaugurations , Honorarium , TA / DA of elected representatives and salaries honorarium of existing employees / permanent and contract ; doles / awards , entertainment , purchase of vehicles and air - conditioners are not allowed under this component .

It may also be mentioned that the above items of expenditure are indicative. The Basic (Untied) Grants under FC -XV can be utilized by the local bodies for improving basic services in rural areas , except for salaries and other establishment costs . The expenditure required for auditing of accounts by external agencies including social audit approved by the State Government, however, may be borne from this grant.


4- अनटाइड/टाइड ग्राण्ट हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की अर्हता:-

- 4.1 अनटाइड एवं टाइड ग्राण्ट हेतु पात्र होने के लिए सम्बन्धित ग्रामीण स्थानीय निकाय को अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के खातों का ऑडिट (प्रोवीजनल) और गत वर्ष के पूर्व वर्ष के अभिलेखों का पूर्ण ऑडिट अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
- 4.2 टाइड ग्राण्ट हेतु पात्र होने के लिए उस वर्ष की स्वच्छता एवं पेयजल सम्बन्धी वार्षिक एक्शनप्लान, जी0पी0डी0पी0/बी0डी0पी0/डी0पी0डी0पी0 डी0डी0डब्ल्यू0एस0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड होने चाहिए।
- 4.3 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वेबसाईट पर अपलोड करना होगा।

5-तकनीकी एवं प्रशासनिक मद

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्तुत बेसिक (अनटाइड) ग्राण्ट एवं टाइड ग्राण्ट की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-एम0 11015/404/2020-एफ0डी0, दिनांक-23.08.2021 में दिये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार व्यय प्रशासनिक मद की धनराशि द्वारा मंत्रालय के 14वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में इंगित किए गए विषयों/मदों पर किया जाएगा। उक्त मदों का विवरण संलग्नक-1 पर है।

इस प्रकार पूर्व से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) में कार्यरत आई0टी0 कन्सल्टेन्ट, लेखाकार, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, खण्ड प्रेरक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि के रूप में लगभग 3852 (संलग्नक-2) कर्मियों द्वारा तकनीकी एवं अन्य प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली (टाइड व अनटाइड ग्राण्ट) कुल धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर नोडल खाता संख्या-39430719992 आई0एफ0एस0सी0 SBIN0006144 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि का आवश्यकतानुसार वितरण राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर प्राप्त की जा रही सेवाओं के लिए किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक मद की 1 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धी खाते का संचालन निम्नवत् किया जायेगा:-



क्र०सं०	विवरण	खाते के संचालन हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी
1	जनपद स्तर	मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी
2	मण्डल स्तर	मण्डलीय उपनिदेशक(पं०) एवं कार्यालय सहायक
3	राज्य स्तर	निदेशक पंचायतीराज व नोडल अधिकारी वित्त आयोग

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली 1 प्रतिशत धनराशि एवं वार्षिक कार्मिकों के सेवाओं की आवश्यकता एवं व्यय का आंकलन कर निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा वार्षिक व्यय की अनुमति शासन से प्राप्त की जायेगी।


6- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:-

- 6.1 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-डब्ल्यू-11042/52 /2020-जे०जे०एम० II-डी०डी०डब्ल्यू०एस०, दिनांक-25.08.2021 में संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में गठित पेयजल एवं स्वच्छता समिति प्रत्येक पेयजल प्रयोग करने वाले घर से एवं पेयजल शुल्क की वसूली करेगी एवं टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन और पृथकीकरण के कार्य के लिए भी मासिक शुल्क वसूल करेगी और इसके लिए दीर्घकालीन परियोजना लागू होने तक 15वें वित्त आयोग की धनराशि पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों पर व्यय की जा सकती है। बचत खाते में प्राप्त होने वाला व्याज तत्कालीन वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग बैलेंस का भाग माना जायेगा।
- 6.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पंचवर्षीय विलेज एक्शन प्लान (वी०ए०पी०) जो 15वें वित्त आयोग के पूरे समय के लिए लागू होगा।
- 6.3 समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के ई-ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।
- 6.4 समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15 वित्त आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर प्लान अपलोड करेंगी।
- 6.5 तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक-31.07.2015 में प्राविधानित व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेंगी।
- 6.6 15वें वित्त आयोग की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-30/2020/1597/33-3-2020-33/2020, दिनांक-29.06.2020, संख्या-34/2020/1817/33-3-2020-33/2020, दिनांक-24.07.2020, संख्या-1017/33-3-2020-11/2020, दिनांक-16.06.2020 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा।
- 6.7 आवंटित धनराशि का व्यय उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य निर्गत वित्तीय निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए। व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर०जी०-1021/10/2018-मित०-1/2017, दिनांक-18.09.2018 का पालन किया जायेगा।

Manoj

उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(मनोज कुमार सिंह) 7.10.21
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।
9. नोडल अधिकारी, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ०प्र०।
10. नोडल अधिकारी, वित्त आयोग/उपनिदेशक(पं०), पंचायतीराज निदेशालय उ०प्र०।
11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ०प्र०।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०), उ०प्र०।
15. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, उ०प्र०।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 10 अगस्त 2021

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ओ०डी०एफ० के स्थायित्व एवं ओ०डी०एफ० प्लस की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ओ०डी०एफ० के स्थायित्व एवं ओ०डी०एफ० प्लस की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन किया जाना है।

संस्थागत व्यवस्था:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समस्त गतिविधियों को सकुशल एवं ससमय पूर्ण कराने हेतु राज्य, मण्डल, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी :-

स्टेट सैनिटेशन मिशन - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर पूर्व में गठित स्टेट सैनीटेशन मिशन ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 हेतु प्रभावी होगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित समितियां संचालित हैं, वह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 हेतु प्रभावी होंगी, जो निम्नानुसार है:-

गवर्निंग बाडी (Governing Body)

प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मा० मंत्री पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन, की अध्यक्षता में गवर्निंग बाडी संचालित हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में कार्यक्रम के संबंध में सुझाव एवं मार्गदर्शन शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति को समय-समय पर देगी। इस समिति के उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन तथा सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० हैं। इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं और यह समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी:-

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
1	मा० मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन	उपाध्यक्ष
3	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
4	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	नोडल आफिसर/स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	सदस्य
6	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	विशेष आमंत्रि

शीर्ष समिति (Apex Committee):

इस समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज इस समिति के सचिव हैं और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। यह समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी :-

क्र. सं.	पदनाम	शीर्ष समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य सचिव
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
	स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक जिलाधिकारी एवं एक मुख्य विकास अधिकारी जो वर्तमान समय में अन्यत्र कहीं भी तैनात हो सकते हैं।	सदस्य
14	स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रि

कार्यकारी समिति (Executive Committee)

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। यह समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल-मेल कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व कार्यकारी समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। राज्य स्तर पर योजना का एक खाता होगा जिसका संचालन मिशन निदेशक/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन तथा नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/सदस्य सचिव, स्टेट सैनीटेशन मिशन द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी समिति वर्ष में कम से कम दो बैठक करेगी।-

क्र. सं.	पदनाम	कार्यकारी समिति में स्तर
1	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	अपर आयुक्त मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	अपर निदेशक, मेडिकल केयर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
10	अपर निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।	सदस्य
12	मिशन निदेशक/नोडल आफिसर, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	राज्य नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
14	अध्यक्ष द्वारा नामित स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत एक विशेषज्ञ	विशेष आमन्त्री

स्टेट लेवल स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी

राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-1 के अन्तर्गत कार्यरत कार्यकारी समिति ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में स्टेट लेवल स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी होगी। इस समिति में तकनीकी मार्गदर्शक सुझाव हेतु तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिसमें यथावश्यक भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के एक प्रतिनिधि भी होंगे। समिति का कार्य जनपदों से प्राप्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के पी0आई0पी0 एवं ए0आई0पी0 प्रस्तावों का तकनीकी जांच कर स्वीकृति प्रदान करना होगा।

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 अन्तर्गत जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता मिशन ही अब जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कहलायेगा, यह मिशन राज्य स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) से सम्बद्ध होगा, इसके निम्नलिखित अंग हैं:-

गवर्निंग बाडी:

जिला पंचायत अध्यक्ष गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष हैं। गवर्निंग बाडी वर्ष में छमाही बैठक करेगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

क्र.	पदनाम	गवर्निंग बाडी में स्तर
1	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
4	माननीय सांसद (जनपद के समस्त)	सदस्य
5	माननीय विधायकगण(जनपद के समस्त)	सदस्य
6	माननीय सदस्य विधान परिषद (जनपद के समस्त)	सदस्य
7	जिला पंचायत की स्थायी समिति के समस्त अध्यक्ष	सदस्य
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
10	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण	सदस्य
11	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
12	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13	अधिसासी अभियंता जल निगम	सदस्य
14	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
15	जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक

जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी अब जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति कहलायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना (डी0पी0आर0) एवं अन्य आवश्यक प्रस्तावों पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए किर्यान्वयन की अनुमति प्रदान करेगी। समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। जनपद स्तर पर खाते का संचालन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति अथवा उनके द्वारा अधिकृत मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया, पी.ओ.एल. आदि का अनुमोदन समिति से लेने के उपरान्त इनका भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी के एकल बैंक खाता संचालन द्वारा किया जायेगा।

क्र.	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	कोषाधिकारी	सदस्य
4	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9	जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
10	अधिशाली अभियन्ता जल निगम	सदस्य
11	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
12	जिला पंचायत सदस्य(एक)	सदस्य
13	ब्लाक प्रमुख (दो)	सदस्य
14	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन) जिसमें से एक महिला प्रधान अनिवार्य रूप से होगी। प्रधानों का चयन अध्यक्ष जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति द्वारा किया जाएगा।	सदस्य

विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

विकास खण्ड स्तर पर पूर्व में गठित विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी अब विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति कहलायेगी। खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी। स्वच्छ

भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में इस समिति का कार्य ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त एवं खुले में शौचमुक्त के स्थायित्व चरण का प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना होगा। यह समिति प्रत्येक माह विकास खण्ड की समीक्षा कर प्रगति एवं रणनीति से जिला स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) समिति को अवगत करायेगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस समिति के सदस्य सचिव, होंगे। यह समिति राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में सहयोग करेगी। विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उत्तरदायी होंगे।

विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

क्र.	पदनाम	विकास खण्ड समिति में स्तर
1	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	सदस्य सचिव
3	खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	सदस्य
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
7	अवर अभियन्ता जल निगम	सदस्य
8	क्षेत्र पंचायत सदस्य (एक) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
9	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन) जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

राज्य स्तर पर पूर्व में गठित राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबन्धन इकाई:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में अब राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) (एस.एस.बी.एम.जी.) कहलायेगी, जो मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के नियन्त्रण में कार्य करेगी तथा उनके नियंत्रणाधीन राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.एस.बी.एम.जी.) कार्य करेगी, जिसका ढाँचा निम्नवत् होगा:-

- स्टेट कोऑर्डिनेटर/स्टेट नोडल आफिसर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-शासन द्वारा नामित पंचायतीराज विभाग के उपनिदेशक स्तर का अधिकारी।

कन्सल्टेन्ट	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
• एच0आर0डी0/क्षमता संवर्धन	- 1	- 1
• आई0ई0सी0	- 1	- 1
• अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	- 2	- 2
• एस0डब्लू0एम0	- 1	- 1
• एल0डब्लू0एम0	- 1	- 1
• एम0एच0एम0/एम0आई0एस0	- 1	- 1
• एम0आई0एस0	- 1	- 1

अन्य

● लेखाकार	- 1	- 1
● पी0एफ0एम0एस0 / लेखा	- 1	- 1
● कार्यालय सहायक	- 7	- 7
● डाटा इन्ट्री आपरेटर	- 8	- 8
● स्वागती	- 1	- 1
● अनुचर	- 4	- 4
● वाहन चालक	- 1	- 1
● सफाई कर्मी	- 2	- 2

राज्य स्तर पर तैनात कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद से किया जायेगा। इन पदों का पारिश्रमिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे एस0आर0एल0एम0/एन0एच0एम0 मनरेगा आदि) की मानदेय/वेतन संरचना के अनुसार होगा।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

मण्डल स्तर पर:- मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) इकाई गठित है, जो मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) के नियंत्रण में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 में अनुश्रवण, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षणों के आयोजन एवं जनपदों में क्षेत्र भ्रमण कर सहयोग प्रदान करने तथा निरन्तर मिशन कार्यालय को रिपोर्ट आदि उपलब्ध करायेगी जिसके लिये निम्नवत् कन्सल्टेन्ट्स की तैनाती की गयी है:-

कन्सल्टेन्ट	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
● मंडलीय कन्सल्टेन्ट अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	- 1	- 1
● मंडलीय कन्सल्टेन्ट आई0ई0सी0	- 1	- 1
● डाटा इन्ट्री आपरेटर	- 1	- 1

मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित इकाई पर होने वाले व्यय हेतु मण्डलीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इकाई को राज्य स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

जनपद स्तर:- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अर्न्तगत जनपद स्तर पर इकाई गठित है, जो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 में कार्य करेगी, जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित पदाधिकारी हैं:-

- जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)-सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी (पदेन)
- सहायक जिला समन्वयक (तकनीकी) एस.बी.एम.(जी)-सम्बन्धित जनपदों के सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) (पदेन)

- सहायक जिला समन्वयक एस.बी.एम.(जी)-सम्बन्धित जनपदों के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पदेन)

कन्सल्टेन्ट	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
आई0ई0सी0/एच0आर0डी0/क्षमता संवर्धन	- 1	- 1
● अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/एम0आई0एस0	- 1	- 1
● एस0एल0डब्लू0एम0	- 1	- 1

अन्य

- लेखा सहायक/योजना सहायक - 1 - 1
- डाटा इन्ट्री आपरेटर - 2 - 2

उक्त कन्सल्टेन्ट/कर्मि जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य/मण्डल कन्सल्टेन्ट को सहयोग प्रदान करेंगे। इन पदों का पारिश्रमिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे एस0आर0एल0एम0/एन0एच0एम0 मनरेगा आदि) की मानदेय/वेतन संरचना के अनुसार होगा।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

विकास खण्ड स्तर पर:- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-1 अर्न्तगत विकास खण्ड स्वच्छता समिति गठित की गयी हैं, जिसमें सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (पदेन) ब्लाक सैनीटेशन आफिसर हैं, जिनके सहयोग हेतु खण्ड प्रेरक तैनात हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 में कार्य करेगी।

खण्ड प्रेरक (Block Motivator)	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
● खण्ड प्रेरक अनुश्रवण	- 1	- 1
● खण्ड प्रेरक सोशल मोबलाइजेशन	- 1	- 1
● डाटा इन्ट्री आपरेटर	-1	- 1

उक्त प्रेरक व डाटा इन्ट्री आपरेटर जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) तथा जिला कन्सल्टेन्ट के मागदर्शन में कार्य करेंगे। विकास खण्ड स्वच्छता समिति, जिला और ग्राम पंचायत के बीच एक सेतु का काम करेगी और जागरूकता पैदा करने, प्रेरणा, प्रोत्साहन, और ग्राम समुदायों तथा ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में निरंतर सहायता प्रदान करेगी।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति द्वारा विकास खण्ड स्वच्छता समिति को विकास खण्ड स्तर पर होने वाले समस्त प्रशासनिक गतिविधियों हेतु त्रैमासिक अग्रिम धनराशि खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। विकास खण्ड स्वच्छता समिति का पृथक से खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक सैनीटेशन आफिसर एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, इस खाते में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अतिरिक्त अन्य धनराशि नहीं रखी जायेगी। इस खाते में प्राप्त होने वाली धनराशि सहायक विकास अधिकारी (पं0) के कार्यालय/स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) वार रुम की प्रशासनिक क्रिया-कलापों हेतु

अथवा जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर व्यय की जायेगी।

विकास खण्ड स्वच्छता समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास के उपरान्त उपभोग प्रमाण-पत्र एवं व्यय विवरण व बिल जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त अभिलेखों की छायाप्रति विकास खण्ड स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी।

उपरोक्त समस्त कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों के मानदेय एवं यात्रा भत्तों का निर्धारण राज्य अजीविका मिशन में दिये जा रहे मानदेय के आधार पर किया जा सकता है, जिसका निर्णय कार्यकारी समिति, द्वारा किया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर जल और स्वच्छता समिति:-


- ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समस्त समितियां अपने कार्यक्रम में स्वच्छता कार्यों को प्राथमिकता देंगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर खोला गया खाता ग्राम निधि-6 का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उपयोगार्थ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष खाते का ऑडिट किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत का वर्ष में कम से कम एक बार सोशल आडिट किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत एवं जल स्वच्छता समिति अपनी ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त करने एवं ओ०डी०एफ० प्लस हेतु कार्य करेगी।
- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, प्रेरणा देने, ग्राम कार्य योजना तैयार करने व प्रोत्साहन देने के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति (जल एवं स्वच्छता समिति) का गठन किया जा सकता है। जल एवं स्वच्छता समिति में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि और 6 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इसकी कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के गरीब वर्गों का, ग्राम पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समिति को ग्राम पंचायत के जल और स्वच्छता की एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी और यह ग्राम पंचायत की अभिन्न अंग होगी। जल एवं स्वच्छता समिति की संरचना और कार्यों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होगा।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार वित्तीय प्राविधान किया गया है:-

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अर्न्तगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधि वार वित्तीय व्यवस्था	
गतिविधि	वित्तीय व्यवस्था
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था (बी.पी.एल.एवं निर्धारित ए.पी.एल.)	अधिकतम रू० 12000 (शौचालय निर्माण एव पानी हेतु स्टोरेज व्यवस्था के साथ)

<p align="center">टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधियां</p>	<p align="center">ग्राम पंचायत स्तर पर टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधि</p>	<p align="center">गांव की जनसंख्या के आधार पर</p>	<p>वित्तीय प्रावधान</p>	
		<p align="center">यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 तक है</p>	<p>1-टोस अपशिष्ट प्रबन्धन: ₹ 60 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा</p> <p>2-तरल अपशिष्ट प्रबन्धन: ₹ 280 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p>	
		<p align="center">यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक है</p>	<p>1-टोस अपशिष्ट प्रबन्धन: ₹ 45 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p> <p>2-तरल अपशिष्ट प्रबन्धन: ₹ 660 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p> <p>नोट:- (टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि में 30 प्रतिशत 15वां वित्त की धनराशि से किया जायेगा जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत उक्त मद से करेगी।</p>	
	<p align="center">जनपद स्तर पर टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधि</p>	<p align="center">प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (एक यूनिट प्रति विकास खण्ड)</p>	<p>अधिकतम ₹ 16 लाख प्रति विकास खण्ड के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p>	
		<p align="center">फिकल स्लज मैनेजमेंट</p>	<p>अधिकतम ₹ 230 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p>	
		<p align="center">गेबर-धन प्रोजेक्ट</p>	<p>अधिकतम ₹ 50 लाख प्रति जनपद के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p>	
<p align="center">सामुदायिक शौचालय निर्माण में व्यय होनेवाली धनराशि।</p>	<p>अधिकतम ₹ 3 लाख प्रति यूनिट के अनुसार आगणन किया जायेगा।</p> <p>नोट:- (सामुदायिक शौचालय हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि में 30 प्रतिशत 15वां वित्त की धनराशि से व्यय किया जायेगा। जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत उक्त मद से करेगी)</p>			
<p align="center">प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण में व्यय होनेवाली धनराशि।</p>	<p>फेज-1</p>		<p>फेज-2</p>	
	<p>स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 5 प्रतिशत था। जिसमें से 0.50 प्रतिशत राज्य स्तर पर तथा 4.50 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जा रहा है।</p>		<p>स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 3 प्रतिशत होगा। जिसमें से 0.50 प्रतिशत राज्य स्तर पर तथा 2.50 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जायेगा।</p>	
<p align="center">प्रशासनिक मद में व्यय होने वाली धनराशि।</p>	<p>फेज-1</p>		<p>फेज-2</p>	
	<p>स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद की व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 2 प्रतिशत था। जिसमें से 0.20 प्रतिशत राज्य, 0.20 प्रतिशत मण्डल तथा 1.60 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जा रहा है।</p>		<p>स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद की व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 1 प्रतिशत होगा। जिसमें से 0.20 प्रतिशत राज्य, 0.20 प्रतिशत मण्डल तथा 0.60 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जायेगा।</p>	
<p align="center">रिवाल्विंग फंड</p>	<p>स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 5 प्रतिशत होगा अथवा 1.5 करोड. प्रति जनपद व्यय किया जा सकता है।</p>			
<p align="center">फ्लेक्सी फंड</p>	<p>राज्य आवश्यकतानुसार फ्लेक्सी फंड को परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार व्यय कर जा सकता है।</p>			


2-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 का निर्धारित वित्तीय प्रावधान के अनुसार क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।


भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह) 10.8.21
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।


36.7.21

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

No. S-11011/2/2020-SBM-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)



12th Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan'
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003
Dated 17.01.2022

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries,
In-charge of rural sanitation,
All States/UTs

Subject: Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] Phase-II Guidelines – Amendment to the para 15.1 regarding programme funding provisions in SBM(G) Phase-II

Sir,

I am directed to refer to the SBM(G) Phase-II Operational Guidelines and to convey that para 15.1 of the SBM(G) Phase-II guidelines regarding **funding provisions for Gobardhan and Plastic Waste Management Units** have been revised as under:

“15.1 Programme funding Provisions in SBM(G) Phase II

The various components and approved financial assistance for different components under SBMG Phase-II are as below:

Components		Financial assistance	
Incentive for construction of IHHLs (BPLs and Identified APLs)		Rs.12,000/- (including provision for water storage facility for handwashing and cleaning to maintain hygiene)	
SLWM activities	Village level SLWM activities	Village size	Financial support
		Upto 5000 population	Solid Waste Management: Upto Rs.60 per capita Greywater Management: Upto Rs.280 per capita
		Above 5000 population	Solid Waste Management: Upto Rs.45 per capita Greywater Management: Upto Rs.660 per capita
		Note-	
<ol style="list-style-type: none">30% of this amount will be borne by the GPs from their 15th Finance Commission grants.Each village can utilize a minimum of total Rs. 1 lakh based on their requirements for both solid waste and greywater management.The savings under Solid Waste Management component, if any, in a village can be used for Grey Water Management in the same village and, similarly, savings under Grey Water Management component, if any, in a village can be used for Solid Waste Management in the same village.			

Contd..2..

District level SLWM activities	Plastic Waste Management Unit (one in each Block)	Upto Rs.16 lakh per unit (The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a block for setting up of PWMU can be used in another block, if required. Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks.)
	Faecal Sludge Management (FSM)	Upto Rs.230 per capita
	GOBAR-Dhan Projects	Upto Rs.50 lakh per District (The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a district for Gobardhan can be used in another district, if required. Also, based on requirement, Gobardhan units can be taken up in cluster mode for more than one district within the overall funds availability of such districts.)
Community Sanitary Complex (CSC)	Rs. 3 Lakh Note: 30% of this will be borne by GPs from 15 th FC	
IEC and Capacity Building	Up to 5% of the total funding for programmatic components (up to 3% to be used at State / District levels and up to 2% at Central level)	
Administrative Expenses	Up to 1% of the total funding for programmatic components	
Revolving Fund	Up to 5% of Project outlay subject to max. Rs. 1.5 crore per district	
Flexi Funds	The States can use flexi funds as per Ministry of Finance guidelines issued in this regard from time to time for innovations / technology options at the State level to meet the local needs and requirements within the overall objective of the Scheme.	

State / UT Governments will have the flexibility to provide higher incentive / additional funding from other sources such as 15th Finance Commission grants, MPLAD / MLALAD / CSR funds or through convergence with MGNREGS or other schemes of the State Government or Central Government (other than SBM-G), etc.”

2. You are, therefore, requested to bring this to the notice of all the concerned implementing agencies in your State/UT for appropriate action.

3. This is issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully,


(Rampal Singh)

Deputy Secretary to the Government of India

Phone – 011-2436 9654

Email: rampal.singh67@gov.in

Copy to: Mission Directors/State Coordinators, SBM(G), All States/UTs